भारत सरकार
Government of India
संसदीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Parliamentary Affairs

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

विषय वस्तु

अध्याय-1 प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना 1

प्रस्तावना 1

संगठनात्मक संरचना 2

मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट.....4

अध्याय-2 संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान.....5

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान 6

अध्याय-3 राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश.....9

राष्ट्रपति का अभिभाषण 9

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान 10

अध्यादेश 10

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2024 (अभी तक) तक प्रख्यापित अध्यादेश 11

अध्याय-4 संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण.....14

सरकारी कार्य 14

सरकारी कार्य की आयोजना 14

सरकारी कार्य का प्रबंधन 16

निष्पादित सरकारी कार्य का सार 16

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव 17

सरकारी समय का व्यापक वितरण 18

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय 18

अन्य गैर-सरकारी कार्य 18

अध्याय-5 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य.....21

लोक सभा - नियम 193 के अंतर्गत चर्चा.....21

राज्य सभा - नियम 176 के अंतर्गत चर्चा.....21

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा.....22

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख.....22

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....23

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 24

वर्ष 1952 से 2024 तक संसद द्वारा पारित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....24

अध्याय-6 आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण.....26

सामान्य प्रक्रिया 26

लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई 28

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन 28

अध्याय-7 लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख.....29
नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले.....29
नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख 29
अनुवर्ती कार्रवाई 30
प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई 30
अध्याय-8 परामर्शदात्री समितियां.....32
अध्याय-9 संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान.....35
विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन 35
विदेशों से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक.....35
संसद सदस्यों के विदेश दौरे.....36
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन अनुमति.....36
विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति 36
अध्याय-10 युवा संसद योजना.....37
प्रस्तावना 37
शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....38
केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....40
जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 42
विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....45
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता... 48
"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल 48
अध्याय-11 मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग.....51
राजभाषा कार्यान्वयन समिति.....51
हिंदी सलाहकार समिति 51
हिंदी पखवाड़ा.....51
अध्याय-12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा).....54
प्रस्तावना.....54
ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र.....56
वर्ष 2024 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम.....57
राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां.....59
नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति.....62
नेवा सारांश.....63
क्षमता निर्माण प्रशिक्षण.....64
अध्याय-13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक शिकायतें.....66

अध्याय-14 विविध 67

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन....67

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन 67

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई....67

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन....69

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई....69

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था 69

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन....69

संसद सदस्यों का कल्याण....70

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रिभोज की व्यवस्था....70

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य....70

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क....70

बजट की स्थिति....71

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति....73

दिव्यांगजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप....73

अनुसंधान कार्य....73

संविधान दिवस समारोह, 2024....73

स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2024....76

विशेष अभियान 4.0: स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को न्यूनतम रखना....78

परिशिष्ट-1....80

परिशिष्ट-2....81

परिशिष्ट-3....82

परिशिष्ट-4....84

परिशिष्ट-4 क और ख....86

परिशिष्ट-5....89

परिशिष्ट-6....91

परिशिष्ट-7....96

परिशिष्ट-8....102

परिशिष्ट-9....104

परिशिष्ट-10....106

परिशिष्ट-11....109

परिशिष्ट-12....112

परिशिष्ट-13....116

परिशिष्ट-14....118

परिशिष्ट-15....123

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था जो बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए "भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961" के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और उनके सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन भी करती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर नजर रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू पारण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय, जो विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। 17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी 40 परामर्शदात्री थी और वर्तमान में 18वीं लोक सभा के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 41 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों का नामांकन भी करता है।

1.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.7 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहिष्णुता जैसी स्वस्थ आदतें विकसित करने और उन्हें संसद के कार्यचालन की संपूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश में केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ऑफलाइन मोड की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, 26 नवंबर, 2019 को केंद्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के भाग के रूप में 11 सितंबर, 2024 को एनवाईपीएस 2.0 पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया। एनवाईपीएस 2.0 को मंत्रालय द्वारा इसलिए विकसित किया गया है ताकि देश के सभी नागरिकों के लिए योजना को व्यापक आधार देकर तथा इसे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों तक सीमित न रखकर पोर्टल पर भागीदारी में तेजी से वृद्धि की जा सके।

1.8 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत दौरों का आयोजन भी करता है।

1.9 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.10 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं:-

I.	**मंत्री जिन्होंने 17वीं लोक सभा के विघटन तक मंत्रालय का कार्यभार संभाला**	
1.	श्री प्रल्हाद जोशी, कैबिनेट मंत्री (दिनांक 30.05.2019 से 09.06.2024 तक)	
2.	श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा) (दिनांक 30.05.2019 से 09.06.2024 तक)	
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा) (दिनांक 30.05.2019 से 09.06.2024 तक)	
II.	**मंत्री जिन्होंने 18वीं लोक सभा के गठन के पश्चात मंत्रालय का कार्यभार संभाले रखा**	
1.	श्री किरेन रीजीजू, कैबिनेट मंत्री (दिनांक 09.06.2024 से)	

2.	डॉ. एल. मुरूगुन, राज्य मंत्री (राज्य सभा) (दिनांक 09.06.2024 से)	
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा) (दिनांक 09.06.2024 से)	

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट निम्न प्रकार है:

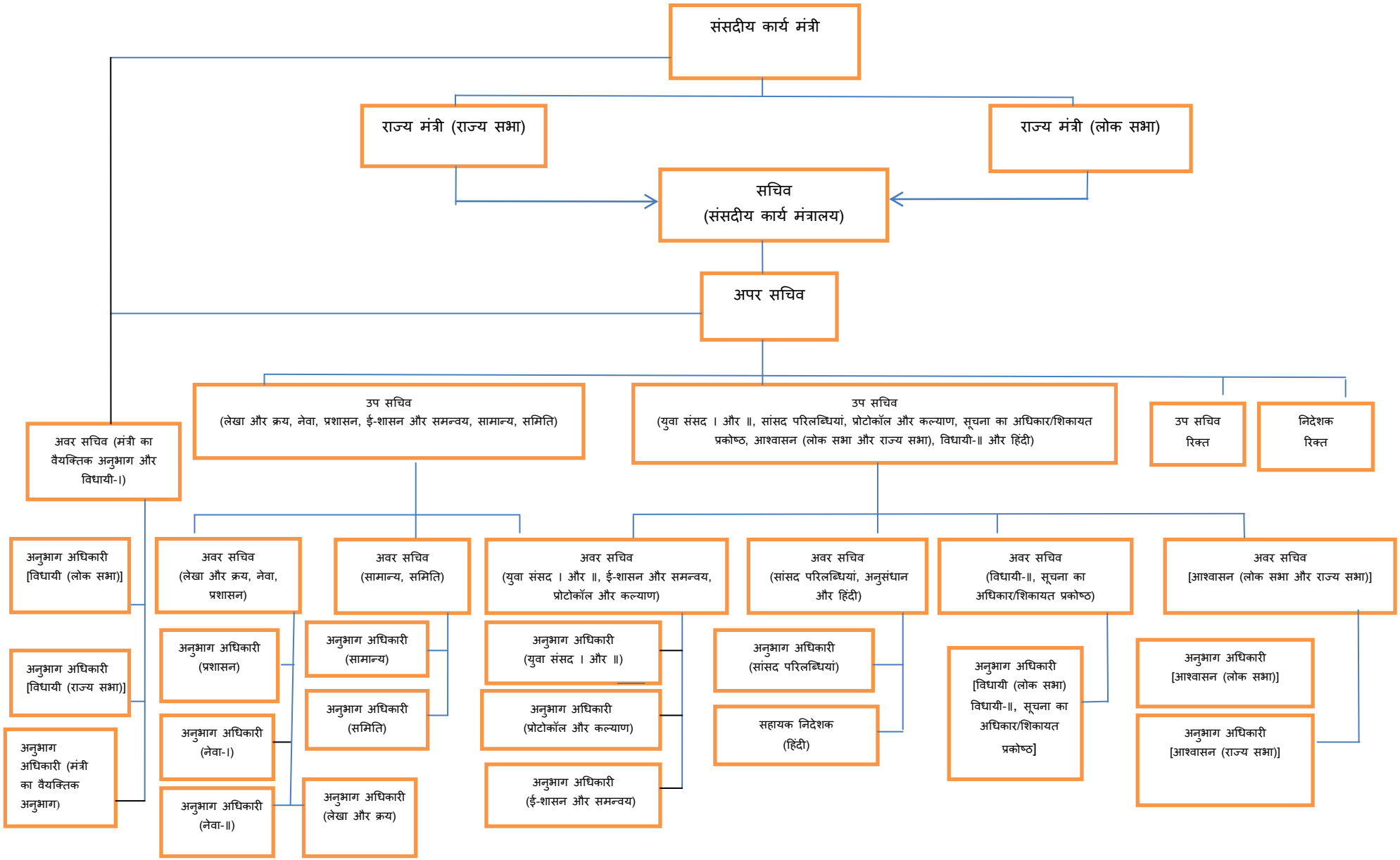

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- सत्रहवीं लोक सभा 05 जून, 2024 को विघटित कर दी गई।
- अठारहवीं लोक सभा का गठन 06 जून, 2024 को किया गया था।
- दिनांक 1.1.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान चार सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा की क्रमश: 51 और 48 बैठकें हुई।

सत्रहवीं लोक सभा का विघटन

2.1 25 मई, 2019 को गठित की गई सत्रहवीं लोक सभा 05 जून, 2024 को विघटित कर दी गई। सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल और राज्य सभा की समरूपी अवधि के दौरान, लोक सभा के 15 सत्र और राज्य सभा के 15 सत्र बुलाए गए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में, लोक सभा की 472 दिनों में 274 बैठकें और राज्य सभा की 470 दिनों में 271 बैठकें हुई। इसके अलावा, 18 से 21 सितंबर, 2023 के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की विशेष बैठकें हुई जो 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' के लिए समर्पित थीं।

अठारहवीं लोक सभा का गठन

2.2 निर्वाचन आयोग ने 06 जून, 2024 को अठारहवीं लोक सभा का गठन किया।

अठारहवीं लोक सभा के सदस्यों को शपथ दिलाने अथवा प्रतिज्ञान कराने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति

2.3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 94 के दूसरे परंतुक के अनुसार, जब भी लोक सभा का विघटन होता है, नई लोक सभा की पहली बैठक से तत्काल पहले अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। सत्रहवीं लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद पहले ही रिक्त था। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अंतर्गत जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होते है, अध्यक्ष के कार्य सदन के एक सदस्य द्वारा निपटाए जाते हैं, जिसे इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष में रूप में नियुक्त किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 99 प्रत्येक संसद सदस्य के लिए संसद के किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का अनुबंध करता है।

2.4 संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ने लोक सभा के सदस्य, श्री भर्तृहरि महताब को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें राष्ट्रपति भवन में 24 जून, 2024 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी। श्री भर्तृहरि महताब ने 24 जून, 2024 को लोक सभा की बैठक के प्रारंभ होने से लेकर सदन के अध्यक्ष का चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। लोक सभा के सदस्य, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री राधा मोहन सिंह, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री टी.आर. बालू और श्री सुदीप बंदोपाध्याय को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया गया था जिनमें से किसी के भी समक्ष नए सदस्य शपथ ले सकते थे या प्रतिज्ञान कर सकते थे।

अध्यक्ष निर्वाचित

2.5 26 जून, 2024 को, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पेश किए गए और श्री राजनाथ सिंह द्वारा अनुमोदित किए गए प्रस्ताव पर लोक सभा के सदस्य, श्री ओम बिरला को लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

राज्य सभा के नेता

2.6 श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; और रसायन एवं उर्वरक मंत्री को 18 जून, 2024 से राज्य सभा के नेता के रूप में मनोनीत किया गया।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.7 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तारीख और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाती है ताकि वे संसद सदस्यों को समन जारी कर सकें।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.8 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के चार सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
15वां	31 जनवरी, 2024 से 10 फरवरी, 2024	09	11
राज्य सभा			
263वां	31 जनवरी, 2024 से 10 फरवरी, 2024	09	11

अठारहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
पहला	24 जून, 2024 से 02 जुलाई, 2024	07	09
दूसरा	22 जुलाई, 2024 से 09 अगस्त, 2024	15	19
तीसरा	25 नवंबर, 2024 से 20 दिसंबर, 2024	19	26
राज्य सभा			
264वां	27 जून, 2024 से 03 जुलाई, 2024	05	07
265वां	22 जुलाई, 2024 से 09 अगस्त, 2024	15	19
266वां	25 नवंबर, 2024 से 20 दिसंबर, 2024	19	26

(ii) सत्रावसान

2.9 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**अनिश्चित काल के लिए स्थगन की तारीख**	**सत्रावसान की तारीख**
15^{th}	10 फरवरी, 2024	15 फरवरी, 2024
राज्य सभा		
263^{rd}	10 फरवरी, 2024	15 फरवरी, 2024

अठारहवीं लोक सभा		
सत्र	**अनिश्चित काल के लिए स्थगन की तारीख**	**सत्रावसान की तारीख**
पहला	02 जुलाई, 2024	04 जुलाई, 2024
दूसरा	09 अगस्त, 2024	20 अगस्त, 2024
तीसरा	20 दिसंबर, 2024	21 दिसंबर, 2024
राज्य सभा		
264वां	03 जुलाई, 2024	04 जुलाई, 2024
265वां	09 अगस्त, 2024	20 अगस्त, 2024
266वां	20 दिसंबर, 2024	21 दिसंबर, 2024

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें
(पहली से अठारहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.1952	02.04.1952	13.05.1952	12.05.1957	04.04.1957
दूसरी	15.03.1957	05.04.1957	10.05.1957	09.05.1962	31.03.1962
तीसरी	25.02.1962	02.04.1962	16.04.1962	15.04.1967	03.03.1967
चौथी	21.02.1967	04.03.1967	16.03.1967	15.03.1972	*27.12.1970
पांचवी	10.03.1971	15.03.1971	19.03.1971	18.03.1977	*18.01.1977
छठी	20.03.1977	23.03.1977	25.03.1977	24.03.1982	*22.08.1979
सातवीं	06.01.1980	10.01.1980	21.01.1980	20.01.1985	31.12.1984
आठवीं	28.12.1984	31.12.1984	15.01.1985	14.01.1990	27.11.1989
नौंवी	26.11.1989	02.12.1989	18.12.1989	17.12.1994	*13.03.1991
दसवीं	15.06.1991	20.06.1991	09.07.1991	08.07.1996	10.05.1996
ग्यारहवीं	07.05.1996	15.05.1996	22.05.1996	21.05.2001	*04.12.1997
बारहवीं	07.03.1998	10.03.1998	23.03.1998	22.03.2003	*26.04.1999
तेरहवीं	04.10.1999	10.10.1999	20.10.1999	19.10.2004	*06.02.2004
चौदहवीं	10.05.2004	17.05.2004	02.06.2004	01.06.2009	18.05.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.05.2009	01.06.0209	31.05.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.1204	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.1209	16.06.2024	05.06.2024
अठारहवीं	01.06.2024	06.06.2024	24.06.2024	23.06.2029	

*1. मध्यावधि चुनाव हुए थे, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कॉलम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक जिन मामलों का अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कैलेंडर वर्ष 2024 के पहले सत्र (अंतरिम बजट सत्र, 2024) के प्रारंभ में 31 जनवरी, 2024 को और 18वीं लोक सभा के पहले सत्र के प्रारंभ में 27 जून, 2024 को अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सत्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
डॉ. हीना विजयकुमार गावित (प्रस्तावक) प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (अनुमोदक)	2 और 5 फरवरी, 2024 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 263वां सत्र	
सुश्री कविता पाटीदार (प्रस्तावक) श्री विवेक ठाकुर (अनुमोदक)	2, 5, 6 और 7 फरवरी, 2024 **(स्वीकृत)**

अठारहवीं लोक सभा का पहला सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री अनुराग सिंह ठाकुर (प्रस्तावक) कुमारी बाँसुरी स्वराज (अनुमोदक)	28 जून, 1 और 2 जुलाई, 2024 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 264वां सत्र	
श्री सुधांशु त्रिवेदी (प्रस्तावक) सुश्री कविता पाटीदार (अनुमोदक)	28 जून, 1, 2 और 3 जुलाई, 2024 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे, लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो उन संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित हो जाने पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगा। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया गया।

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2024 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16
2020	14	2021	10
2022	00	2023	01
2024	00		

औसत लोक सभा-वार = 725/18=40.277 अध्यादेश प्रति लोक सभा

औसत वर्ष-वार = 725/73=9.93 अध्यादेश प्रतिवर्ष

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)

बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से 05 जून, 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र मोदी, 30 मई, 2019 से 05 जून, 2024)
अठारहवीं लोक सभा	06 जून, 2024 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र मोदी, 09 जून, 2024 से)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 17 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, अपने-अपने सदन के नेता के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी बैठकें 15 जुलाई, 2024 को बजट सत्र, 2024 से पहले और 11 नवंबर, 2024 को शीतकालीन सत्र, 2024 से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी एक बैठक 12 नवंबर, 2024 को शीतकालीन सत्र, 2024 से पहले आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सत्रों की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के

नेताओं के साथ दिनांक 30.01.2024, 21.07.2024 और 24.11.2024 को बैठकें बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन कर लेने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक कैलेण्डर अनंतिम रूप से तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा हेतु भाग लेने की तैयारी कर सकें।

शीतकालीन सत्र, 2024 की शुरूआत से पहले सरकारी कार्य का आकलन करने के लिए 12.11.2024 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री की बैठक।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, छह वक्तव्य लोक सभा में और छह वक्तव्य राज्य सभा में दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम की योजना बनाने की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने मात्र से समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से नजर रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमश: 44 और 42 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 62 मदों (लोक सभा - 31, राज्य सभा - 31) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 संसद के शीतकालीन सत्र, 2023 (सत्रहवीं लोक सभा का 14वां सत्र और राज्य सभा का 262वां सत्र) की समाप्ति पर कुल 26 विधेयक (5 विधेयक लोक सभा में और 21 विधयेक राज्य सभा में) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 29 विधेयक (24 विधेयक लोक सभा में और 5 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए और एक विधेयक राज्य सभा में वापस लिया गया। 5 जून, 2024 को सत्रहवीं लोक सभा के विघटन पर, लोक सभा में लंबित 3 विधेयक तथा लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा में लंबित 01 विधेयक संविधान के अनुच्छेद 107(5) की शर्तों के अनुसार व्यपगत हो गए (**परिशिष्ट-2**)। प्रतिवेदित अवधि के दौरान दोनों सदनों द्वारा 17 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-3**)। संसद के शीतकालीन सत्र, 2024 (अठारहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र और राज्य सभा का 266वां सत्र) की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 33 विधेयक (11 विधेयक लोक सभा में और 22 विधेयक राज्य सभा में) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-4** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों, सदनों में प्रस्तुत किए गए और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें भेजे गए मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और मूल दीर्घकालीन नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करना शामिल है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान विभागों संबंधी संसदीय स्थायी समितियों का गठन नहीं होने के कारण कोई मध्यावकाश नहीं हुआ।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट और वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4क और 4ख**)।

4.11 17वीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 263वां सत्र मुख्य रूप से 31 अगस्त, 2024 को समाप्त होने वाली पांच मास की अवधि हेतु अंतरिम बजट, 2024 के लिए लेखानुदान का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी, 2024 से बुलाया गया था। इसका उद्देश्य नई लोक सभा द्वारा केंद्रीय बजट के पारित कर दिए जाने तक भारत की संचित निधि में से व्यय की पूर्ति करने में केंद्रीय सरकार को सक्षम बनाना था। सदन में लेखानुदान पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा को सुकर बनाने के लिए कलैंडर वर्ष 2023 के लिए मंत्रालयों की संक्षिप्त गतिविधियों की एक रिपोर्ट संसद सदस्यों में परिचालन हेतु तैयार की गई थी।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.12 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.13 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

सरकारी समय का व्यापक वितरण

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के व्यापक वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
(i)	विधायी	172	12	137	40	38.24%	45.22%
(ii)	वित्तीय	78	32	26	16	17.44%	08.63%
(iii)	गैर-वित्तीय	199	35	140	29	44.32%	46.15%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	बैठक का कुल वास्तविक समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
15वां (17वीं लोक सभा)	63	30	शून्य	शून्य	शून्य
पहला (18वीं लोक सभा)	34	17	05	37	17.3%
दूसरा (18वीं लोक सभा)	115	21	02	12	2.57 %
तीसरा (18वीं लोक सभा)	62	00	65	15	57.21%
कुल	275	08	73	04	26.58%
राज्य सभा					
263वां	56	49	शून्य	शून्य	शून्य
264वां	24	18	00	43	3.3 %
265वां	93	01	02	29	3.16%
266वां	43	56	71	43	65.74%
कुल	218	04	74	55	29.71 %

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में एक-एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत दो चर्चाएं तथा राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत तीन चर्चाएं भी की गईं।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 2024 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	93	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	74	74	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36

2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49
2020	33	33	39	2021	59	58	51
2022	56	56	25	2023	60	60	49
2024	51	48	17				

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा:

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1	श्री सत्यपाल सिंह ने ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा आरंभ की।		10.02.2024	04 - 35 (चर्चा पूरी नहीं हुई)
2	डॉ. संजय जायसवाल ने आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा आरंभ की।	युवा कार्यक्रम और खेल	22.07.2024	02 - 26 (चर्चा पूरी नहीं हुई)

ध्यानाकर्षण:

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय
1.	श्री के.सी. वेणुगोपाल ने देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल की हानि की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया	गृह	31.07.2024	01 - 06 **(**चर्चा पूरी हुई**)**

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा:

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय
				घंटे मिनट
1.	श्री सुशील कुमार मोदी ने "8 फरवरी, 2024 को राज्य सभा के पटल पर	वित्त	10.02.2024	03 - 44 (चर्चा पूरी हुई)

	रखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र और देश के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव" पर चर्चा शुरू की।			
2.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने "श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा" विषय पर चर्चा शुरू की।		10.02.2024	02 - 46 (चर्चा पूरी हुई)
3	श्री सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्रों की मृत्यु की हाल ही में हुई दुखद घटना पर चर्चा शुरू की	आवासन और शहरी कार्य	29.07.2024	03 - 15 (चर्चा पूरी हुई)

ध्यानाकर्षण:

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय
1	श्री अरुण सिंह ने गृह मंत्रालय का ध्यान केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट किया।	गृह	31.07.2024	01 - 12 (चर्चा पूरी हुई)

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	**मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**
			घंटे मिनट
1.	**आवासन और शहरी कार्य**	31.07.2024 01.08.2024	03 - 49
2.	**कृषि और किसान कल्याण**	01.08.2024 02.08.2024 05.08.2024	04 - 14 00 - 58 00 - 39
3.	**नवीन एवं नवीकरणीय ऊजा**	05.08.2024 06.08.2024	02 - 04 03 - 40

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निर्धारण करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचारण और पारण हेतु सूचीबद्ध हुए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई।

5.4 मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित 8 बैठकें की:-

क्र.सं.	**मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक की तारीख**	**प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया**
1.	8 जनवरी, 2024	(i) अंतरिम बजट सत्र, 2024 का बुलाया जाना।
2.	6 फरवरी, 2024	(i) एक दिन के लिए संसद के सदनों की बैठकों का विस्तार।
3.	10 फरवरी, 2024	(i) अंतरिम बजट सत्र, 2024 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
4.	11 जून, 2024 (मंत्रिमंडल की बैठक)	(i) आम चुनाव, 2024 के पश्चात संसद को आहूत करना।
5.	4 जुलाई, 2024	(ii) 18वीं लोक सभा के पहले सत्र और राज्य सभा के 264वें सत्र का सत्रावसान। (iii) बजट सत्र, 2024 का बुलाया जाना।
6.	19 अगस्त, 2024	(i) संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
7.	29 अक्टूबर, 2024	(i) शीतकालीन सत्र, 2024 का बुलाया जाना।
8.	20 दिसंबर, 2024	(i) संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।

5.5 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 105 विधेयक (65 विधेयक लोक सभा में और 40 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**) और 2 विधेयक राज्य सभा में वापस लिए गए। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख/तारीखें**	**परिणाम**
1	श्री सी.एन. अन्नादुरै का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विनियमन और विकास आयोग विधेयक, 2024	09.08.2024	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1	श्री जावेद अली खान का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)	26.07.2024	चर्चा पूरी नहीं हुई

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री शफी परम्बिल ने देश में हवाई किराये को विनियमित करने के लिए उचित उपायों के संबंध में संकल्प पेश किया।	26.07.2024	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाकर संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची में स्थानांतरित करने, NEET और NTA को निरस्त करने और राज्य सरकारों के मानदंडों के आधार पर चिकित्सा प्रवेश को वापस लाने तथा NEET परीक्षा से प्रभावित पीड़ितों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान करने के लिए एक कानून लाने का कदम।	02.08.2024	अनिर्णायक
2.	श्री अब्दुल वहाब द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, रिक्तियों को भरने, तकनीकी प्रगति को अपनाने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम, यह सुनिश्चित करना कि कॉलेजियम अधिक युवा वकीलों को न्यायपालिका में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करे और कानूनी समुदाय को हमारे देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करे।	06.12.2024	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2024 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960

7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
	(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक	
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

अध्याय - 6

आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 197 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 160 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 428 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 257 आश्वासन, जो प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 4 आश्वासन और राज्य सभा में 78 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी कोई कार्रवाई करने या अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दे देते हैं। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय एजेन्सी के रूप में काम करता है कि मंत्रालय अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या वह एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ वास्तविक समस्याओं के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहार्य नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग इस मंत्रालय को सूचित करते हुए समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए सीधे लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय से अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 197 आश्वासन निकाले गए। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर 432 कार्यान्वयन प्रतिवेदन रखे गए, जिससे लोक सभा में लंबित आश्वासनों की कुल संख्या 767 हो गई। राज्य सभा में, कार्यवाहियों में से 160 आश्वासन निकाले गए। राज्य सभा के पटल पर 335 कार्यान्वयन प्रतिवेदन रखे गए, जिससे राज्य सभा में लंबित आश्वासनों की कुल संख्या 565 हो गई। वर्ष 2008 से 2024 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए/नहीं माने गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3+4+5)**	**7(2-6)**	**8**
2008	1109	1009	97	3	1109	0	100
2009	1298	1134	158	1	1293	5	99.61
2010	1602	1511	78	10	1599	3	99.81
2011	1904	1715	135	48	1898	6	99.68
2012	1949	1734	148	59	1941	8	99.59
2013	1108	981	117	0	1098	10	99.10
2014	1461	1303	147	6	1456	5	99.66
2015	1332	1199	94	29	1322	10	99.25
2016	1303	1146	93	44	1283	20	98.47
2017	854	742	65	28	835	19	97.78
2018	693	575	52	42	669	24	96.54
2019	1061	920	84	23	1027	34	96.80
2020	376	313	22	22	357	19	94.95
2021	765	595	56	41	692	73	90.46
2022	493	361	26	13	400	93	81.14
2023	578	270	8	1	279	299	48.27
2024	197	53	0	5	58	139	29.44
कुल	**18083**	**15561**	**1380**	**375**	**17316**	**767**	**95.76**

राज्य सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया - 2	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	680	565	45	70	680	0	100.00
2009	1018	860	72	85	1017	1	99.90
2010	1082	942	73	62	1077	5	99.54
2011	1003	833	78	91	1002	1	99.90
2012	1118	928	149	38	1115	3	99.73
2013	688	586	80	19	685	3	99.56
2014	1190	1000	155	19	1174	16	98.66
2015	907	682	93	113	888	19	97.91
2016	991	619	42	303	964	27	97.28
2017	484	315	12	143	470	14	97.11
2018	415	294	15	86	395	20	95.18
2019	410	291	8	76	375	35	91.46
2020	165	132	12	0	144	21	87.27
2021	250	182	6	13	201	49	80.40
2022	386	216	8	56	280	106	72.54
2023	277	125	3	35	163	114	58.84
2024	160	30	0	0	30	130	19.38
कुल	**11224**	**8600**	**852**	**1209**	**10661**	**565**	**94.98**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आवधिक समीक्षा की जाती है और आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 98वां, 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन दिनांक 08.02.2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 78वां प्रतिवेदन दिनांक 27.12.2024 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2023 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए 491 मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत किए गए 139 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2024 से 10.02.2024 (17वीं लोक सभा का अंतरिम बजट सत्र) की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 133 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 56 विशेष उल्लेख किए गए।
- दिनांक 05.06.2024 को लोक सभा में लंबित 312 मामले 17वीं लोक सभा के विघटन के कारण व्यपगत हो गए। दिनांक 05.06.2024 की स्थिति के अनुसार राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए 91 मामले लंबित थे। राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर लोक सभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 18वीं लोक सभा के गठन के पश्चात, दिनांक 24.06.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के तहत 841 मामले और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से 249 मामले उठाए गए।
- 18वीं लोक सभा के दौरान (शीतकालीन सत्र, 2024 तक) नियम 377 के तहत उठाए गए 841 मामलों में से 360 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 481 मामले लंबित हैं।
- 1997 विशेष उल्लेखों में से, 1853 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 144 विशेष उल्लेख लंबित हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया है। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या सामान्यत: 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियम 180ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान

केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दोनों सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 दिनांक 31.12.2023 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए 491 मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत किए गए 139 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2024 से 10.02.2024 (17वीं लोक सभा का अंतरिम बजट सत्र) की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 133 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 56 विशेष उल्लेख किए गए। 17वीं लोक सभा के विघटन के कारण दिनांक 05.06.2024 की स्थिति के अनुसार लोक सभा में लंबित 312 मामले व्यपगत हो गए। राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर लोक सभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिनांक 05.06.2024 की स्थिति के अनुसार राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए 91 मामले लंबित थे। 18वीं लोक सभा के गठन के पश्चात, दिनांक 24.06.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के तहत 841 मामले और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से 249 मामले उठाए गए। 18वीं लोक सभा के दौरान (शीतकालीन सत्र 2024 तक) नियम 377 के तहत उठाए गए 841 मामलों में से 360 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 481 मामले लंबित हैं। 1997 विशेष उल्लेखों में से 1853 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 144 लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5(i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित 'शून्य काल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निदेश न दे, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न

मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.09.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई, जैसी कि अपेक्षित समझी जाए, के लिए भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

(iv) लोक सभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र, 2021 से शून्य काल की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसलिए मंत्रालय ने उसके बाद से लोक सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों का सार भेजना बंद कर दिया है। तथापि, यह मंत्रालय सत्र के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या वाली सूची ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और ऐसी कार्रवाई हेतु अग्रेषित करता है जैसी कि आवश्यक समझी जाए। तथापि, मंत्रालय राज्य सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई हेतु भेज रहा है।

7.6 दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाए गए 1046 मामले (लोक सभा: 729, राज्य सभा: 317) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- 17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए 40 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही थी।
- 18वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए 41 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 32 बैठकें आयोजित हुई। 32 बैठकों में से 10 बैठकें 17वीं लोक सभा के शेष भाग के दौरान आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा का उद्‌गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्‌वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्‌वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार-विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्‌वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्‌देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के तरीके पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता उन संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिनसे ये समितियां संबंधित होती हैं।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) यदि किसी सदस्य को किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि हो तो उसे उस मंत्रालय/विभाग की परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यत: एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान, आयोजित की जानी अनिवार्य हैं।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और कोई भी अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। 17वीं लोक सभा के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों के लिए 40 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी **(परिशिष्ट-8)।** 18वीं लोक सभा में, विभिन्न मंत्रालयों के लिए 41 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-9)।**

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-10** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	गृह मंत्रालय	26 फरवरी, 2024 को दमन, दमन और दीव

अध्याय-9

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह नि:संदेह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करे और इस कार्य के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा अपने-अपने राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 इस वर्ष, संसद सदस्यों का सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी सद्भावना शिष्टमंडल किसी भी देश में नहीं भेजा गया है।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.3 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों को नामित करते हैं/उनके नामों को अनुमोदित करते हैं।

विदेश से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक

9.4 विदेशों में शिष्टमंडल भेजने के अलावा, विदेशों के विभिन्न शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात करते हैं और संसद के कार्यचालन एवं परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

9.5 इस वर्ष, नॉर्वे से आए ऐसे ही एक संसदीय शिष्टमंडल ने 10.09.2024 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की और संसद के कामकाज और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

(श्री किरेन रीजीजू, माननीय संसदीय कार्य मंत्री
10 सितंबर, 2024 को नॉर्वे के शिष्टमंडल के साथ बातचीत करते हुए)

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.6 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 4 संसद सदस्यों (लोक सभा) ने विदेश के अपने निजी/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन अनुमति

9.7 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में, जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता है, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.8 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.9 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार और गुजरात सरकार को विदेश यात्रा पर जाने वाले उनके सरकारी प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में मंजूरी/अनापत्ति जारी की है।

अध्याय -10

युवा संसद योजना

एक झलक:

- "युवा संसद प्रतियोगिता" की विभिन्न योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 हेतु 05 जुलाई, 2024 को।
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 हेतु 12 जुलाई, 2024 को।
  3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 हेतु 19 जुलाई, 2024 को।
  4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 हेतु 25 और 26 सितंबर, 2024 को मुन्नार, केरल में।

- "युवा संसद प्रतियोगिता" की विभिन्न योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए:-
  1. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए 16 फरवरी, 2024 को।
  2. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के लिए 6 सितंबर, 2024 को।
  3. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के लिए 10 जनवरी, 2025 को।
  4. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के लिए 16 जनवरी, 2025 को।

- 11 सितंबर, 2024 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा **राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल के नए संस्करण** अर्थात **एनवाईपीएस 2.0** का शुभारंभ।
- 11 सितंबर, 2024 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के विद्यार्थियों के लिए **राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की नई योजना** का शुभारंभ।
- 'स्वच्छता ही सेवा' समारोह, 2024 के भाग के रूप में निबंध प्रतियोगिताएँ।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। बाद में, राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 4 अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक

प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 7वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में, यह मंत्रालय ऊपर उल्लिखित युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के अलावा युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त, युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में विस्तार करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब-पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके दायरे को देश के प्रत्येक नागरिक तक विस्तारित करने के लिए वर्ष 2024 में इसके उन्नत संस्करण अर्थात एनवाईपीएस 2.0 का शुभारंभ किया गया।

1. <u>शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.2 दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह 06 सितंबर, 2024 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर एम.एम. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 11 विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री एम.एम. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा के विद्यार्थियों के साथ।

57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.3 इस मंत्रालय ने 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लाभ के लिए 5 जुलाई, 2024 को एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया था। आवश्यक संसाधन सामग्री को डिजिटल मोड में साझा किया गया और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

उप सचिव, युवा संसद 5 जुलाई, 2024 को व्याख्यान देते हुए

57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का मूल्यांकन कार्य

10.4 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का मूल्यांकन कार्य 5 दिसंबर, 2024 से शुरू हुआ था। इस प्रतियोगिता में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 30 विद्यालय और एनडीएमसी के 4 विद्यालय भाग ले रहे हैं।

राजकीय सह-शिक्षा सर्वोदय विद्यालय, रोहिणी, दिल्ली में युवा संसद की बैठक

2. <u>केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 35 संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह 10 जनवरी, 2025 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री किरेन रीजीजू, माननीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर केन्द्रीय विद्यालय, आईआईटी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नेहरू रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। 4 केंद्रीय विद्यालयों को उनके संबंधित अंचल में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए आंचलिक विजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और 20 केंद्रीय विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए योग्यता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

श्री किरेन रीजीजू, माननीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री केन्द्रीय विद्यालय, आईआईटी, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों के साथ।

35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.7 इस मंत्रालय ने 12 जुलाई, 2024 को डिजिटल मोड में 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी शिक्षकों के लाभार्थ अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक संसाधन सामग्री डिजिटल मोड में साझा की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का मूल्यांकन कार्य

10.8 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 देश के विभिन्न भागों में 175 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रतियोगिताएं पहले अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिभागी विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गईं। तत्पश्चात, निम्नलिखित स्थानों पर 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	तारीखें	मेजबान क्षेत्र	मेजबान केंद्रीय विद्यालय	अंचल	प्रतिभागी क्षेत्र
1	5.11.2024 और 6.11.2024	भोपाल	के.वि. नं.2, भोपाल	केंद्रीय	वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर
2	12.11.2024 और 13.11.2024	अहमदाबाद	के.वि. ओएनजीसी चांदखेड़ा	पश्चिम	अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, आगरा, रांची

3	19.11.2024 और 20.11.2024	बेंगलूरू	के.वि. आरडब्ल्यूएफ येलाहांका	दक्षिण	हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, एर्नाकूलम, जबलपुर
4	06.01.2025 और 07.01.2025	गुरूग्राम	के.वि. नं.2, फरीदाबाद	उत्तर	चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, जम्मू
5	03.12.2024 और 04.12.2024	भुवनेश्वर	के.वि. नं.3, एनडीआरएफ मुन्डाली	पूर्व	तिनसुकिया, कोलकाता, गुवाहाटी, सिलचर, भुवनेश्वर

केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की आंचलिक प्रतियोगिता (दक्षिणी अंचल) 19 और 20 नवंबर, 2024 को केंद्रीय विद्यालय, आरडब्ल्यूएफ, येलाहांका में आयोजित की गई।

3. <u>जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.9 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना 1997 में शुरू की गई थी और अब तक प्रतियोगिता के 25 संस्करण पूरे हो चुके हैं और 26वां संस्करण प्रगति पर है।

25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.10 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का पुरस्कार वितरण समारोह 16 जनवरी, 2025 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रापुर, महाराष्ट्र को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 7 जवाहर नवोदय विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रापुर, महाराष्ट्र के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ।

26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.11 इस मंत्रालय ने 19 जुलाई, 2024 को डिजिटल मोड में 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी शिक्षकों के लाभार्थ अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक संसाधन सामग्री डिजिटल मोड में साझा की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

उप सचिव, युवा संसद 19 जुलाई, 2024 को नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय में आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम के दौरान 'युवा संसद का संचालन' विषय पर व्याख्यान देते हुए।

26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 का मूल्यांकन कार्य

10.12 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 देश के विभिन्न भागों में 88 जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिता पहले क्षेत्रीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। इसके बाद, निम्नलिखित स्थानों पर 8 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच 3 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	तारीखें	आयोजन स्थल	प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालय
1	21 और 22 जनवरी, 2025	जवाहर नवोदय विद्यालय, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	1. ज.न.वि. बीरभूम (पश्चिम बंगाल) 2. ज.न.वि., महासमंद (छत्तीसगढ़) 3. ज.न.वि., गोलाघाट (असम)
2	28 और 29 जनवरी, 2025	जवाहर नवोदय विद्यालय, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश	1. ज.न.वि., श्री गंगानगर-II (राजस्थान) 2. ज.न.वि., अंबेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) 3. ज.न.वि., शिमला (हिमाचल प्रदेश)
3.	4 और 5 फरवरी, 2025	जवाहर नवोदय विद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	1. ज.न.वि., मेडक (तेलंगाना) 2. ज.न.वि., वलसाड (महाराष्ट्र)

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की 21 और 22 जनवरी, 2025 को ज.न.वि., दुर्गापुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता

4. **<u>विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>**

10.13 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं।

16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.14 विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का पुरस्कार वितरण समारोह 16 फरवरी, 2024 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। समूह स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को योग्यता ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के शिक्षकों और विद्यार्थियों सहित।

10.15 इस मंत्रालय ने 25 और 26 सितंबर, 2024 को मुन्नार, केरल में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2024-25 के समन्वयकों के लाभार्थ अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक संसाधन सामग्री डिजिटल मोड में साझा की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय मुन्नार, केरल में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के अभिविन्यास पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए।

श्री सत्य प्रकाश, अपर सचिव 26 सितंबर, 2024 को मुन्नार, केरल में संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति विषय पर व्याख्यान देते हुए।

5. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.16 संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों के भाग के रूप में, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू द्वारा 11 सितंबर, 2024 को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की एक नई योजना शुरू की गई।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू द्वारा युवा संसद प्रतियोगिता की नई योजना का उद्घाटन।

6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.17 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश और ओडिशा को वर्ष 2022-23 के दौरान, हरियाणा और मध्य प्रदेश को वर्ष 2023-24 के दौरान अपने-अपने राज्य में युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

7. "राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल

10.18 युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करने के लिए, केंद्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में 26 नवंबर, 2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना के एक वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया गया था।

10.19 संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने इस वर्ष संसदीय कार्य मंत्रालय की 100 दिन की उपलब्धियों के भाग के रूप में 11 सितंबर, 2024 को एनवाईपीएस 2.0 पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया। एनवाईपीएस 2.0 को मंत्रालय द्वारा इसलिए विकसित किया गया है ताकि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के अतिरिक्त देश के सभी नागरिकों के लिए भी पोर्टल खोलकर, पोर्टल में भागीदारी की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा सके। एनवाईपीएस 2.0 का वेब-पोर्टल देश के सभी नागरिकों को 3 अलग-अलग तरीकों से मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम बनाता है:

(i) **संस्थान द्वारा प्रतिभागिता:** सभी शैक्षणिक संस्थान पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद की बैठकें आयोजित करके इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। कक्षा VI से XII तक के विद्यार्थियों का चयन "किशोर सभा" उप-श्रेणी के लिए किया जा सकता है तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों का चयन "तरुण सभा" उप-श्रेणी के लिए किया जा सकता है।

(ii) **समूह द्वारा प्रतिभागिता:** नागरिकों का एक समूह पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार युवा संसद की बैठकें आयोजित करके इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकता है।

(iii) **व्यक्तिगत प्रतिभागिता:** कोई भी नागरिक 'क्रियाशील भारतीय लोकतंत्र' विषय पर प्रश्नोत्तरी के जवाब देकर इस श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकता है।

10.20 ई-प्रशिक्षण सामग्री जैसे युवा संसद संबंधी साहित्य, आदर्श वाद-विवाद, आदर्श प्रश्न, आदर्श कार्यसूची, आदर्श पांडुलिपि, वीडियो ट्यूटोरियल आदि एनवाईपीएस 2.0 के वेब-पोर्टल पर प्रशिक्षण संसाधनों के रूप में उपलब्ध हैं। यह पोर्टल https://nyps.mpa.gov.in/ पर उपलब्ध है।

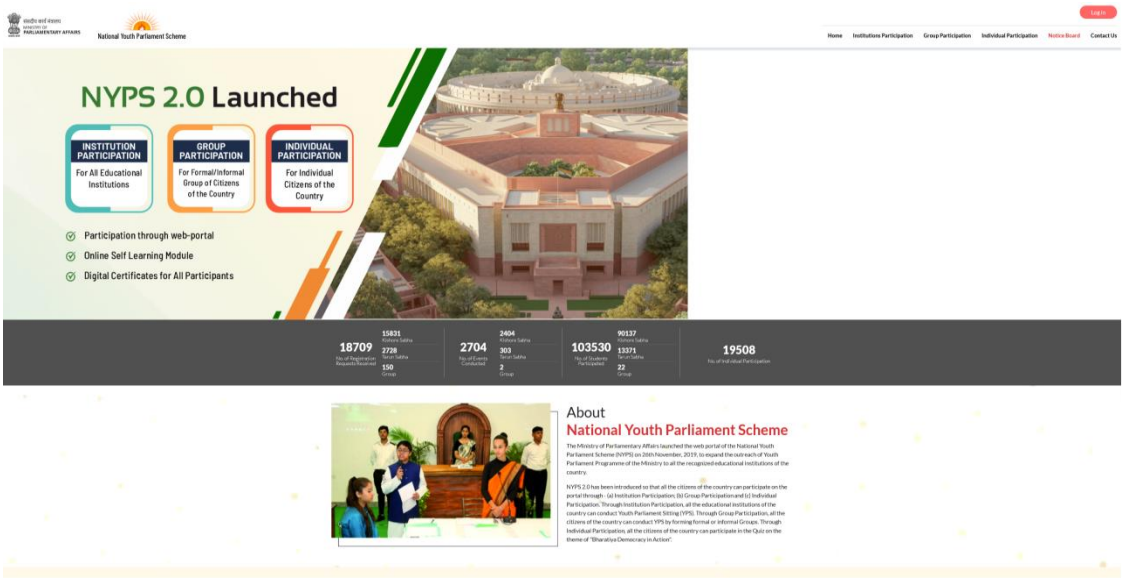

एनवाईपीएस का डैशबोर्ड

8. <u>विभिन्न विषयों पर निबंध प्रतियोगिताएं</u>

10.21 मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' उत्सव के भाग के रूप में 25 अप्रैल, 2024 को केरल सीनियर सकेण्ड्री स्कूल, विकासपुरी, दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए एक अंत:विद्यालय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

अंतर-विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते विद्यार्थी

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिंदी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें दिनांक 22.03.2024, 19.06.2024, 20.09.2024 और 20.12.2024 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिंदी सलाहकार समिति

11.5 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। पिछली समिति का कार्यकाल 2 नवंबर, 2023 को समाप्त हो गया था और अब समिति के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.7 मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2024 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान, माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रीजीजू) द्वारा मंत्रालय के

अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए अपील जारी की गई। पखवाड़े के दौरान, निम्नलिखित छह प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईं:-

1. हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिंदी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता;
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता;
5. हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता; और
6. हिंदी प्रश्नोत्तरी।

11.8 हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 30 सितंबर, 2024 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 27 अधिकारियों/कर्मचारियों **(परिशिष्ट -13)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री उमंग नरूला, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए।

11.9 अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 15 अनुभागों में से आठ अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य सात अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन (लोक सभा) अनुभाग	100%
3.	आश्वासन (राज्य सभा) अनुभाग	100%
4.	हिंदी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	ई-शासन और ई-समन्वय अनुभाग	100%
7.	विधायी-II अनुभाग	100%
8.	आरटीआई/शिकायत प्रकोष्ठ	100%
9.	युवा संसद-I अनुभाग	50%
10.	युवा संसद-II अनुभाग	50%
11.	प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग	50%
12.	समिति अनुभाग	50%
13.	विधायी-I अनुभाग	50%
14.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
15.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

11.10 “अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2024” के अवसर पर 10 जून, 2024 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में योग गुरु डॉ. सुरक्षित गोस्वामी ने आध्यात्मिक स्वास्थ्य विषय पर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण दिया।

अध्याय - 12
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

एक झलक

- माननीय मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) 2.0 पर ज्यादा यूजर-फ्रेंन्डली इंटरफ़ेस, बहुभाषी समर्थन और ज्यादा सुरक्षा के साथ नेवा 2.0 लॉन्च किया गया।
- 27 विधानमंडलों द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए; 23 को परियोजना स्वीकृति और वित्त पोषण प्राप्त हुआ है, और 16 नेवा को पूर्णत: लागू कर चुके हैं।
- मणिपुर 28 फरवरी 2024 को अपना पहला कागज रहित बजट सत्र आयोजित करते हुए, नेवा पर लाइव होने वाला 13वां सदन बन गया।
- असम डिजिटल होने वाला 14वां विधानमंडल बन गया।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उनकी परियोजना को मंजूरी मिल गई है।
- आंध्र प्रदेश विधानमंडल अपने राज्य में नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है।

12.1 प्रस्तावना

- ई-विधान भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। ई-विधान के अंतर्गत, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) 'एक राष्ट्र-एक एप्लिकेशन' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभाओं के भीतर समस्त सरकारी कार्य के कागज-रहित निष्पादन की सुविधा के माध्यम से सभी राज्य विधानमंडलों को "डिजिटल सदनों" में परिवर्तित करके उनके कार्यसंचालन का डिजिटलीकण करना है, ताकि राज्य सरकार के विभागों के साथ निर्बाध सूचना विनिमय हो सके और सार्वजनिक पोर्टल पर अनुमोदित सामग्री का वास्तविक समय पर प्रकाशन हो सके। यह नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का लाभ उठाकर विधायी चर्चाओं में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अधिक प्रभावी भागीदारी को भी सशक्त बनाती है। यह बृहत्तर प्रतिभागिता और सुविज्ञ निर्णय लेने को बढ़ावा देकर विधायी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाती है।
- संसदीय कार्य मंत्रालय को विधानसभाओं/परिषदों वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए 'नोडल मंत्रालय' के रूप में नामित किया गया है और इसे विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में पुनः नामित ई-विधान को प्रोत्साहित और कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है।
- मानकीकृत जेनेरिक नेवा को विकसित किया गया है जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी / राज्य भाषा) होगा और नेशनल क्लाउड-मेघराज पर मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में काम करेगी। एप्लिकेशन को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनके जोखिम और लागत पर अनुकूलित किया जा सकता है।

मिशन और परियोजना उद्देश्य:

नेवा का मिशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कम कागजी विधानमंडल में परिवर्तित करना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सामग्री को अस्तित्व में आते ही सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी बहसों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए खुद को तैयार करने के लिए नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने में भी सहायता करना है।

नेवा परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल सचिवालयों की सभी शाखाओं का बैकएंड कंप्यूटरीकरण ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह और वितरण सुनिश्चित किया जा सके और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ परस्पर संवाद किया जा सके।
- चिह्नित सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) शुरू करके बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।
- राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानसभा सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के नेवा केंद्र में क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।
- सदस्यों की सहायता के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना।
- सभी हितधारकों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टल और डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण।
- डिजिटल विधानमंडल: सदन में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना।
- राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट डिवाइस प्रदान करना (यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से प्रदान/प्रावधान नहीं किया गया है)।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना। और प्रत्येक राज्य विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना।
- नेवा के ई-बुक मॉड्यूल के माध्यम से सदन के पटल पर सभी रिपोर्ट/दस्तावेजों और कागजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने जैसी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए विधानमंडल के सदन (सदनों) में आवश्यक हार्डवेयर/एक्सेस डिवाइस तैनात करना।
- विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी एप्लिकेशंस को उपयोगकर्ता के अनुकूल और उपकरण तटस्थ बनाना।
- सभी राज्य विधानमंडलों के लिए मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल (द्विभाषी) बनाना तथा सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी/डेटा तक तत्काल पहुंचने के लिए उपयोग में आसान मोबाइल ऐप विकसित करना।
- अंत में, नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल विधानमंडलों के लक्ष्य को प्राप्त करना।

नेवा की मुख्य विशेषताएं

क. **अद्वितीय:** यह नवाचार अद्वितीय है और पूरे देश में लागू होने वाला अपनी तरह का पहला है। नेवा का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके अनेक एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डेटा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का सृजन करना है।

ख. **सदस्य-केंद्रित और डिवाइस-एग्नॉस्टिक एप्लिकेशन:** नेवा को एक सदस्य-केंद्रित, डिवाइस-तटस्थ, यूनिकोड-अनुपालक और उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, जो विभिन्न राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों को उनके हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण/टैबलेट में उनके लिए आवश्यक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराके सदन के विविध कार्य को संभालने में समर्थ बनाती है।

ग. **सभी संबंधित हितधारकों के लिए एकल एप्लिकेशन के रूप में विकसित**: नेवा को विधानसभाओं/परिषदों के सदस्यों, मंत्रियों, सदन सचिवालय कर्मियों, सरकारी विभाग कर्मियों, नागरिकों, मीडिया, शोधकर्ताओं आदि जैसे विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। सदस्यों को सदन के विविध कार्य को संभालने की सुविधा प्रदान करने के अलावा, यह विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को कुशलतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाती है। नेवा हितधारक विभागों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिमय सुनिश्चित करती है।

घ. **यह एक पूर्णत: प्रक्रिया आधारित एप्लिकेशन है:** नेवा सदन की आवश्यक प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है। इसमें प्रश्न संसाधन, विभागीय उत्तर, विधेयक प्रबंधन, कार्यसूची निर्माण, समिति प्रबंधन, शब्दशः निर्माण आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

ङ. **सभी राज्य विधानमंडलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है:** नेवा एक सामान्य वेब-एप्लिकेशन है जो सभी राज्य विधानमंडलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और नेशनल क्लाउड - मेघराज पर एक मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में कार्य करती है। इसे देश भर के सभी विधानमंडलों के लिए विशिष्ट रूप से विकसित किया गया है।

च. **आकस्मिक स्थितियों के लिए लचीलापन:** किसी घटना या आपदा के मामले में, राष्ट्रीय डेटा केंद्र नेवा वेबसाइट को आपदा रिकवरी साइट से बहाल होने का निर्देश देगा, जो एनआईसी राज्य केंद्र, हैदराबाद में स्थित है। आदर्श रूप से बहाली में 3-4 घंटे लगेंगे।

छ. **दस्तावेज़/रिकॉर्ड प्रबंधन:** नेवा विधायी दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दस्तावेज़ साझाकरण और संग्रह सहित सटीक दस्तावेज़ प्रबंधन सुविधा प्रदान करता है।

12.2 ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है जो सदन के कागज रहित कामकाज और सूचनाओं के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक हैं। नेवा परियोजना के तहत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं-

डिजिटल सदन, मास्टर डाटा, प्रयोगकर्ता प्रबंधन, विभाग का उत्तर, मोबाइल एप्लिकेशन, विधेयक प्रबंधन प्रणाली, कार्यसूची, समिति प्रबंधन प्रणाली, प्रश्न संसाधन, पब्लिक पोर्टल, सदस्य मॉड्यूल, रिपोर्टर्स मॉड्यूल, डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल, सरकारी आश्वासन मॉड्यूल।

12.3 **वर्ष 2024 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम**

1. **नेवा 2.0 का उद्घाटन:** संसदीय कार्य मंत्रालय ने 100 दिन की उपलब्धियों के एक भाग के रूप में 11 सितंबर 2024 को मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू की गरिमामयी उपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न अन्य पहलों के साथ-साथ नेवा 2.0 का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर भारत सरकार, राज्यों के विधानमंडलों के अधिकारी और विभिन्न गण्यमान्य व्यक्ति तथा मीडियाकर्मी उपस्थित थे। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री उमंग नरूला ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री का स्वागत किया और प्रतिभागियों को विकसित भारत विजन 2047 पर आधारित 100 दिनों की विभिन्न पहलों के बारे में संबोधित किया तथा सुशासन प्राप्ति में डिजिटल प्रणालियों के महत्व पर जोर दिया, नेवा 2.0 उन्हीं में से एक है। संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव, डॉ. सत्य प्रकाश ने नेवा 2.0 के उन्नत संस्करण के बारे में जानकारी दी, जिसमें अधिक प्रयोक्तानुकूल इंटरफ़ेस और राज्यों के विधानमंडलों की विधायी प्रक्रियाओं के साथ बेहतर एकीकरण सहित विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं, जो कागज रहित विधायी वातावरण की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा और वास्तविक समय के शासन को बढ़ावा देगा और समय पर निर्णय लेने को आसान बनाएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने नेवा 2.0 का उद्घाटन किया और इस पहल की सफलता हेतु प्रयासों के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और राज्यों के विधानमंडलों की पूरी टीम की सराहना की और शेष राज्यों से 'एक राष्ट्र एक एप्लिकेशन' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीघ्र नेवा को अपनाने का आग्रह किया।

नेवा 2.0 की विशेषताएं

नेवा 2.0 में बहुभाषी समर्थन, सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएँ भेजने की कार्यक्षमता, सदस्यों की बायो-प्रोफाइल का स्वचालित निर्माण और एक नए सदस्य डैशबोर्ड जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जो भाषाई समावेशिता में वृद्धि करती हैं तथा नेवा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन दोनों पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा, नेवा 2.0 का नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) 2.0 में स्थानांतरण बेहतर मापनीयता, विश्वसनीयता, अधिक डेटा सुरक्षा और अनुकूलित प्रदर्शन सुनिश्चित करता है, जो विधायी सेवाओं के निर्बाध परिदान में सहायता करता है।

माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रीजीजू ने डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नेवा 2.0 का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और शासन में सुधार करना है।

2. **असम में नेवा परियोजना का उद्घाटन:** असम के माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 12 अगस्त, 2024 को असम विधानसभा के लिए नेवा परियोजना का उद्घाटन किया। उक्त कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से अपर सचिव भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद माननीय मंत्रियों, सदस्यों और विधानसभा के अधिकारियों को नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके साथ ही असम देश का 14वां विधानमंडल बन गया है जिसने खुद को डिजिटल सदन में परिवर्तित कर लिया है और अपने सत्रों का संचालन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा है। इसके अलावा, इसने फरवरी, 2024 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद नेवा परियोजना को त्वरित रूप से कार्यान्वित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य होने का रिकॉर्ड बनाया है।

असम विधानसभा में माननीय मुख्य मंत्री श्री हेमंत बिस्वा सरमा द्वारा डिजिटल सदन का उद्घाटन

12.4 राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां

इस वर्ष असम विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के साथ नेवा परियोजना ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। इसके अलावा, असम विधानसभा, राजस्थान विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को नेवा की अधिकारप्राप्त समिति द्वारा 10 मई, 2024, 5 जून, 2024 और 26 जुलाई, 2024 को मंजूरी दी गई।

इसके अलावा, मणिपुर विधानसभा और असम विधानसभा नेवा के साथ सफलतापूर्वक लाइव हो चुकी हैं।

मणिपुर विधानसभा

अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को चिह्नित करते हुए, मणिपुर विधानसभा 28 फरवरी, 2024 से अपना पहला बजट सत्र नेवा के माध्यम से लाइव आयोजित करके कागज रहित विधानसभा में परिवर्तित होने वाली 13वीं विधानसभा बन गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने 27 फरवरी, 2024 को विधानसभा के लिए डिजिटल सदन का शुभारंभ किया था, जिसके बाद सदस्यों, विभागों और विधानसभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

मणिपुर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह द्वारा डिजिटल सदन का शुभारंभ।

असम विधानसभा

असम 22 फरवरी, 2024 को संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 23वाँ विधानमंडल बना। इसके बाद, राज्य ने अपने सदस्यों, अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के लिए

अपने सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। नेवा की अधिकारप्राप्त समिति द्वारा 10 मई, 2024 को विधानमंडल हेतु नेवा के कार्यान्वयन के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद धनराशि जारी की गई और अंततः 12 अगस्त, 2024 को नेवा के माध्यम से लाइव होने में सफलता मिली, जब विधानसभा के लिए परियोजना का उद्घाटन असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया।

असम विधानसभा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

राजस्थान विधानसभा

राजस्थान विधानसभा ने भी 29 अप्रैल, 2024 को नेवा को अपनाकर खुद को डिजिटल सदन में परिवर्तित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेवा की अधिकारप्राप्त समिति ने 5 जून, 2024 को धनराशि जारी करने के साथ राज्य में नेवा के कार्यान्वयन के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी।

मध्य प्रदेश विधानसभा

मध्य प्रदेश विधानसभा ने 3 जून 2024 को नेवा के कार्यान्वयन हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, विधानसभा के लिए परियोजना को अंततः 26 जुलाई, 2024 को नेवा की अधिकारप्राप्त समिति द्वारा मंजूरी दी गई और उसके बाद धनराशि जारी की गई।

मध्य प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश सरकार के अपर सचिव ने सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आंध्र प्रदेश विधानसभा

हाल ही में, आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने भी 25 नवंबर, 2024 को संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके नेवा को अपनाने के लिए तत्परता दिखाई है, जिससे नेवा से जुड़े विधानमंडलों की कुल संख्या 27 हो गई है।

आंध्र प्रदेश विधानमंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

12.5 नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति

नेवा परियोजना ने अपनी उल्लेखनीय यात्रा में शानदार उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वर्तमान में, 27 विधानमंडल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 22 विधानमंडलों को परियोजना की मंजूरी और वित्तपोषण प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, 14 विधानमंडलों ने नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदनों को सफलतापूर्वक डिजिटल कर लिया है। ये उपलब्धियाँ परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती हैं।

विभिन्न विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति: -

क्र.सं.	राज्य	वर्तमान स्थिति
1	बिहार विधान परिषद	लाइव
2	पंजांब विधानसभा	लाइव
3	मेघालय विधानसभा	लाइव
4	गुजरात विधानसभा	लाइव
5	नागालैंड विधानसभा	लाइव
6	त्रिपुरा विधानसभा	लाइव
7	सिक्किम विधानसभा	लाइव
8	तमिलनाडु विधानसभा	लाइव
9	हरियाणा विधानसभा	लाइव
10	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लाइव
11	मिजोरम विधानसभा	लाइव
12	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	लाइव
13	मणिपुर विधानसभा	लाइव
14	असम विधानसभा	लाइव
15	ओडिशा विधानसभा	परियोजना मंजूर और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है
16	उत्तराखंड विधानसभा	परियोजना मंजूर और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है
17	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	परियोजना मंजूर और दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है
18	झारखंड विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
19	पुडुचेरी विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
20	बिहार विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
21	राजस्थान विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
22	मध्य प्रदेश विधानसभा	परियोजना मंजूर और पहली किस्त जारी की जा चुकी है
23	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है
24	अरूणाचल प्रदेश विधानसभा	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है
25	छत्तीसगढ़ विधानसभा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं
26	आंध्र प्रदेश विधानसभा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं
27	आंध्र प्रदेश विधान परिषद	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं

12.6 **नेवा सारांश**

नेवा के साथ लाइव होने के चरण

निम्नलिखित प्रवाह संचित्र एक विधानमंडल को अब तक कम कागज वाले विधानमंडल में और बाद में पूरी तरह से कागज रहित विधानमंडल में परिवर्तित करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में बताता है।

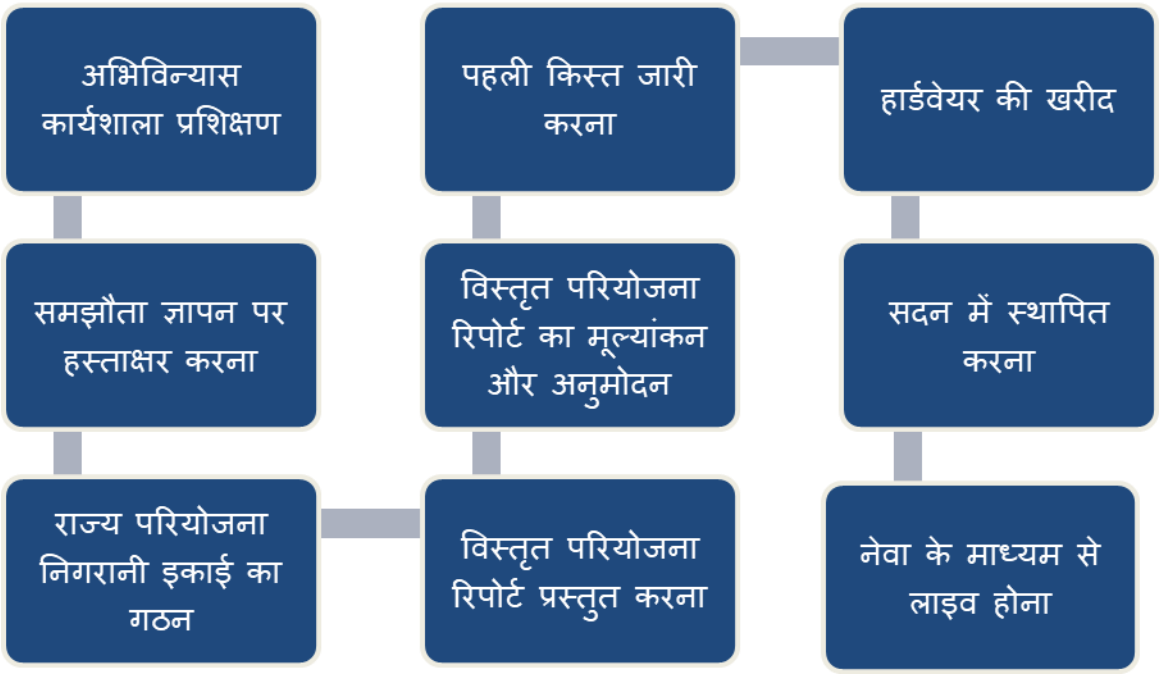

12.7 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) के मुख्य कार्यों में से एक है विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा नेवा सेवा केंद्र (एनएसके), ई-लर्निंग सह ई-सुविधा केंद्र स्थापित करके सदस्यों की सहायता करना। हितधारकों को एसपीएमयू (राज्य परियोजना निगरानी इकाई) के परामर्श से विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाती है ताकि नेवा को सुचारू रूप से अपनाया जा सके:-

- केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित करके;
- संबंधित विधानमंडलों में और केंद्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों, विधानमंडल सचिवालय और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यशालाएँ आयोजित करके;
- आभासी अभिविन्यास कार्यक्रम/कार्यशालाएँ आयोजित करके;
- नेवा वेबसाइट पर नियम पुस्तक और वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करके।

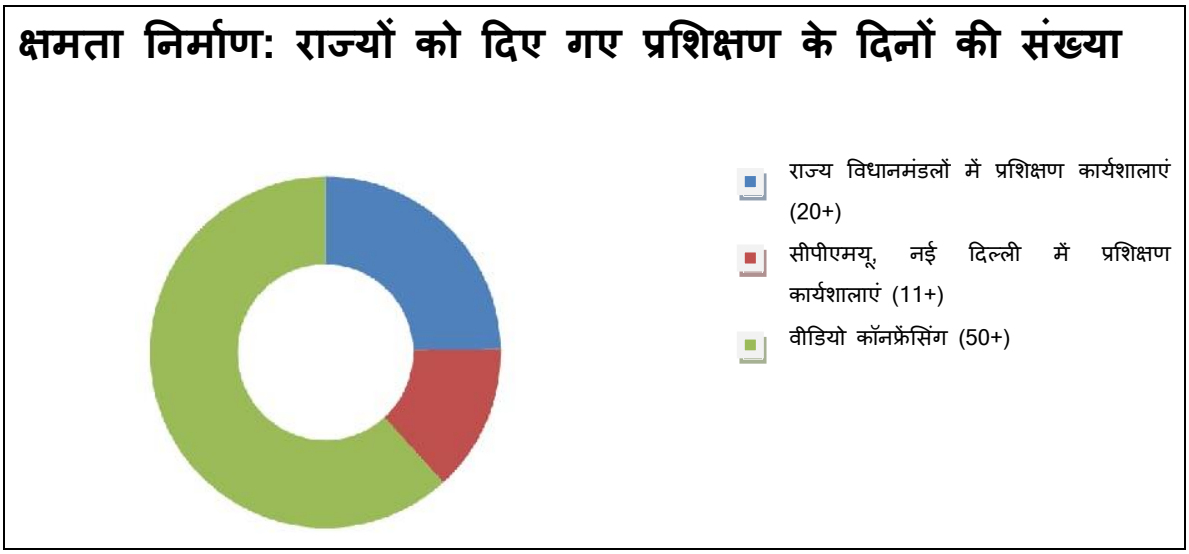

वर्ष 2024 में, मणिपुर, असम और गुजरात सहित विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए उनके लाइव सत्रों की तैयारी हेतु नेवा मॉड्यूल्स पर 20 दिनों से अधिक के प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश (दोनों सदन), बिहार विधान परिषद, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जैसी कई विधानसभाओं को ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से तकनीकी सहायता प्रदान की गई है, जिससे सुचारू सत्र संचालन सुनिश्चित हुआ है।

इसके अतिरिक्त, बिहार, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम और मणिपुर विधानसभाओं के अधिकारियों के लिए सीपीएमयू, नई दिल्ली में लगभग 11 दिनों तक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स को शामिल किया गया था। पूरे वर्ष में विधायी सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 50 दिनों से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) भी आयोजित की गई हैं।

अध्याय 13
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और लोक शिकायतें

संसदीय कार्य मंत्रालय ऑनलाइन पोर्टल और भौतिक रूप दोनों के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों/प्रथम अपीलों पर कार्रवाई कर रहा है। मंत्रालय ने सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों के निपटान हेतु उप सचिवों को प्रथम अपील प्राधिकारी और अवर सचिवों को केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत यथापेक्षित सक्रिय/स्वप्रेरित प्रकटीकरण को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सूचना का अधिकार' शीर्ष के अंतर्गत अपलोड किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के तहत अपेक्षित रूप में केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर वर्ष 2023-24 की त्रैमासिक विवरणियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। सूचना का अधिकार पारदर्शिता "वर्ष 2023-24 के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट रिपोर्ट" जिसे केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अनुमोदित एजेंसी, भारतीय जनसंचार संस्थान (आईएमसी) द्वारा ऑडिट किया गया है, पहले ही इस मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सूचना का अधिकार' शीर्षक के अंतर्गत अपलोड की जा चुकी है। मंत्रालय के पास एक नामित आरटीआई/पीजी सेल है जो आरटीआई/पीजी के समन्वय और निपटान संबंधी कार्य को देखता है।

इसी प्रकार, मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों के साथ-साथ भौतिक रूप से प्राप्त होने वाली लोक शिकायतों का भी निपटारा कर रहा है। डीएआरपीजी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय ने लोक शिकायतों के निपटारे के लिए मंत्रालय के अवर सचिवों को शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के रूप में नामित किया है।

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निपटाए गए सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों/अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है:-

आवेदन प्राप्त हुए	आवेदन निपटाए गए	प्रथम अपील प्राप्त हुई	प्रथम अपील निपटाई गई	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त दूसरी अपील	केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा निपटाई गई दूसरी अपील	क्या वेबसाइट पर स्वप्रेरित प्रकटीकरण को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है
910	910	17	17	02	02	हाँ

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान, मंत्रालय द्वारा निपटाई गई लोक शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:-

लोक शिकायत प्राप्त हुई	लोक शिकायत निपटाई गई
1868	1868

लोक शिकायतों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार रैंकिंग के अनुसार मंत्रालय को जुलाई 2024 और अक्टूबर 2024 में दो बार शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय ने उक्त अवधि के दौरान शिकायतों के निपटान के लिए 2 दिन का समय भी बनाए रखा।

अध्याय 14

विविध

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 46 संसद सदस्य (29 लोक सभा से और 17 राज्य सभा से); और
  (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 115 संसद सदस्य (60 लोक सभा से और 55 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

14.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 46 संसद सदस्यों (लोक सभा से 29 और राज्य सभा से 17) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-11** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

14.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए रूप में 115 संसद सदस्यों (लोक सभा के 60 और राज्य सभा के 55) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

याचिका संबंधी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

14.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की जांच की गई और यह पाया गया कि समिति ने सामान्य प्रकृति की कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है जिसे अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी मंत्रालयों को परिचालित करना आवश्यक हो:-

(i) सत्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 62वां से 66वां प्रतिवेदन।

14.4 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सुझाव के अनुसार, "कर्मयोगी सप्ताह" के दौरान 23 अक्टूबर 2024 को बीपीएसटी मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद ग्रंथालय में सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए "संसदीय कार्यप्रणाली एक नज़र में" विषय पर आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। श्री एस.के. त्रिपाठी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय ने अधिकारियों को "कैसे एक विधेयक संसद का अधिनियम बनता है" से अवगत कराया और डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव ने अधिकारियों को "संसदीय कार्यप्रणाली एक नज़र में" पर व्याख्यान दिया। कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कुल 109 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

(दाएं से श्री एस.के. त्रिपाठी, पूर्व संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय, श्री उमंग नरूला, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय)

(श्री उमंग नरूला, सचिव, डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव और भारत सरकार के मंत्रालयों के अधिकारीगण)

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

14.5 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

14.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

14.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-14** और **परिशिष्ट-15** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

14.8 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों की सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था

14.9 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

14.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अंतिम 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

संसद सदस्यों का कल्याण

14.11 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य की मांग पर अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

14.12 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

14.13 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

14.14 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

14.15 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठक (बैठकों) के दौरान संसद सदस्यों, प्रेस तथा संसद भवन में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

14.16 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

14.17 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में

विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	**तारीख**	**किसने बैठक बुलाई/ बैठक की अध्यक्षता की**	**विषय**	**आयोजन स्थल**
1	30.01.2024	संसदीय कार्य मंत्री	अंतरिम बजट सत्र का सुचारू संचालन	जी- 074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली
2	21.07.2024	संसदीय कार्य मंत्री	बजट सत्र का सुचारू संचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध
3	06.08.2024	विदेश मंत्री / संसदीय कार्य मंत्री	बंगलादेश की स्थिति पर ब्रीफिंग	संगोष्ठी-1, संसद भवन, नई दिल्ली
4.	24.11.2024	संसदीय कार्य मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारू संचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध

(संसद के शीतकालीन सत्र, 2024 से पहले मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 24 नवंबर, 2024 को आयोजित सर्वदलीय बैठक)

बजट की स्थिति

14.18 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:- (धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	**विषय-शीर्ष**	**बजट अनुमान 2024-25**	**संशोधित अनुमान 2024-25**	**बजट अनुमान 2025-26**	**वास्तविक व्यय 2024-25** (13/12/2024 तक)
<u>राजस्व खंड</u> मुख्य शीर्ष	13.00 - स्थापना				
	13.00.01 - वेतन	87600	87600	89900	67100

"2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.05 - पुरस्कार	750	600	700	600
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	4250	3000	3000	2200
	13.00.07 - भत्ते	69800	76800	79900	58600
	13.00.08 - छुट्टी यात्रा रियायत	1100	1400	1200	1100
	13.00.09 - प्रशिक्षण व्यय	200	200	200	200
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	5000	5000	5000	3600
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	24000	15000	24000	2000
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	36000	36000	36000	33998
	13.00.16 - मुद्रण और प्रकाशन	1000	1000	1000	600
	13.00.18 -अन्य के लिए किराया	1000	1000	1000	600
	13.00.19 - डिजिटल उपकरण	3000	3000	3000	1900
	13.00.24 - ईंधन और स्नेहक	1000	900	900	600
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	200	500	16200	5000
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	3000	4000	4000	3000
	13.00.29-मरम्मत और अनुरक्षण	1800	1800	1800	1400
	13.00.49 - अन्य राजस्व व्यय	300	400	300	40
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.09 प्रशिक्षण व्यय	5000	2500	4000	--
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.13 कार्यालय व्यय	7500	4500	5000	1200
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.26 विज्ञापन और प्रचार	1000	1000	1000	1000
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.28 वृत्तिक सेवाएं	500	500	500	100
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.31 सहायतानुदान - सामान्य	330000	317000	302400	183800
	13.03 - राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम 13.03.40 अवार्ड और पुरस्कार	12000	12000	12000	8500
	13.96- स्वच्छता कार्य योजना 13.96.40 अवार्ड और पुरस्कार	1000	1000	1000	600
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**597000**	**584000**	**599000**	**366000**
	31.21.51 - मोटर वाहन	1000	1000	1000	--
	31.21.52 - मशीनरी और उपकरण	1500	1500	2000	200
	31.21.71 - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) और उपकरण	40000	60800	63000	40000
	31.21.74 - फर्निचर और फिक्सचर्स	300	100	300	--
	31.21.77 - अन्य अचल संपत्ति	200	200	300	200
	कुल मुख्य शीर्ष '4070'	**43000**	**63600**	**66600**	**40400**
	कुल जोड़ - संसदीय कार्य मंत्रालय	**640000**	**647600**	**665600**	**407000**

लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

14.19 वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
	2024-25 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

14.20 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांगजनों के लाभ के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

अनुसंधान कार्य

14.21 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका की समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब भी पूछा जाए, संसदीय प्रक्रियाओं और परिपाटियों संबंधी मामलों पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तिका और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है, मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतन करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। यह लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामलों और संसदीय सचिवालयों के कार्यचालन से संबंधित मामलों को भी देखता है। इसके अतिरिक्त प्रकोष्ठ के कार्यों में नीति-संबंधी कार्य तथा इस मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न मामलों पर अनुसंधान कार्य भी शामिल हैं।

संविधान दिवस समारोह, 2024

14.22 26 नवंबर, 2024 को भारत ने संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि को चिह्नित किया था। 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत और 26 जनवरी, 1950 से लागू

किए गए संविधान ने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। भारत के इतिहास में इस परिवर्तनकारी क्षण के सम्मान में 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है।

साल भर चलने वाले इस समारोह का विषय "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" (Our Constitution, Our Pride) है, जिसका उद्देश्य संविधान में निहित आधारभूत मूल्यों को दोहराना और नागरिकों को इसके आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है।

मुख्य कार्यक्रम की झलकियां

मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति के साथ-साथ माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार रहीं:

1. **राष्ट्रगान और स्वागत भाषण**: कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद लोक सभा अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। माननीय अध्यक्ष ने संविधान निर्माताओं, विशेष रूप से डॉ. बी.आर. अंबेडकर की उल्लेखनीय दूरदृष्टि पर प्रकाश डाला।

2. **लघु फिल्म की स्क्रीनिंग**: भारतीय संविधान की महिमा को समर्पित एक लघु फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म में संविधान के निर्माण में डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे प्रमुख व्यक्तियों के योगदान और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में इसकी ऐतिहासिक यात्रा को दिखाया गया।

3. **माननीय उप-राष्ट्रपति का संबोधन**: भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति ने अपने संविधान दिवस संबोधन में संविधान के गहन महत्व और भारत की लोकतांत्रिक पहचान को आकार देने में इसकी निरंतर प्रासंगिकता पर जोर दिया।

4. **गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विमोचन**

    - 75वीं वर्षगांठ को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकट।
    - पुस्तकें: "भारत के संविधान का निर्माण: एक झलक" और "भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा"।
    - संविधान की कला पर एक पुस्तिका।
    - संस्कृत और मैथिली में भारत का संविधान।

संविधान दिवस पर संस्कृत और मैथिली में भारत के संविधान का विमोचन।

5. संविधान दिवस पर माननीय राष्ट्रपति का भाषण

भारत की माननीय राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है जिसके माध्यम से भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। उन्होंने आगे कहा, *"... हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से संबंधित कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एक नए दृष्टिकोण के साथ, हम राष्ट्रों के समुदाय में भारत के लिए एक नई पहचान अर्जित कर रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। आज, एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के अलावा, हमारा देश 'विश्व-बंधु' के रूप में इस भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है..."*।

6. प्रस्तावना वाचन

माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में, नागरिकों ने दुनिया भर से सामूहिक रूप से प्रस्तावना वाचन में भाग लिया। यह सामूहिक गौरव और एकजुटता का क्षण था, जिसने संविधान के आदर्शों को बनाए रखने की साझा जिम्मेदारी को सुदृढ़ किया।

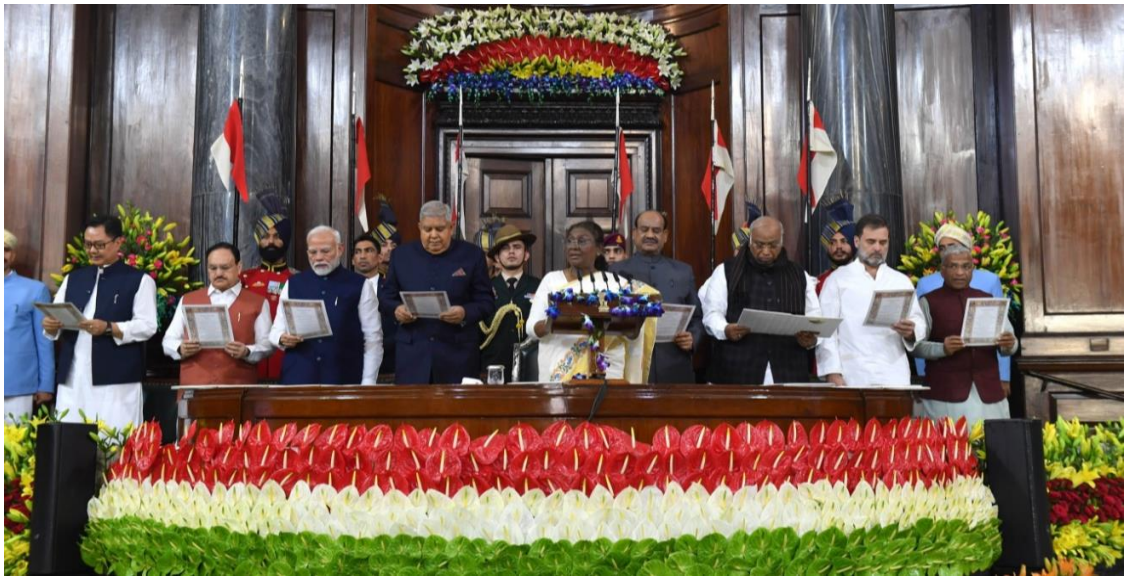

26 नवंबर, 2024 को केंद्रीय कक्ष, संविधान सदन, नई दिल्ली से माननीय राष्ट्रपति के साथ सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन।

संविधान दिवस पर नागरिक सहभागिता

14.23 भारतीय संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने MyGov के सहयोग से अधिक से अधिक जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दो पोर्टल शुरू किए हैं:

1. **प्रस्तावना वाचन पोर्टल:** इस पोर्टल नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर शपथ लेने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देता है।
2. **संविधान दिवस प्रश्नोत्तरी पोर्टल:** संवैधानिक जागरूकता में वृद्धि करने के लिए डिज़ाइन की गई इस राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी से नागरिकों, विशेष रूप से विद्यार्थियों का संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और ऐतिहासिक महत्व के संबंध में ज्ञानार्जन हुआ।

स्वच्छता ही सेवा अभियान, 2024

14.24 संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) जन आंदोलन के तहत श्रमदान के साथ बड़े पैमाने पर सफाई अभियान का आयोजन किया। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2024 तक राष्ट्रव्यापी "स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024" का आयोजन किया गया, जिसका विषय था - स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता।

मंत्रालय ने 'एसएचएस' और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान के लिए नई दिल्ली के आर.के.पुरम स्थित केरल स्कूल का चुनाव किया।

23 सितम्बर, 2024 को केरल स्कूल, आर.के.पुरम के बच्चों के साथ स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत सामूहिक सफाई अभियान

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला और अपर सचिव डॉ. सत्य प्रकाश ने केरल एज्युकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में और उसके आस-पास सामूहिक सफाई अभियान का नेतृत्व किया। संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूली बच्चों ने भी स्वच्छता के लिए श्रमदान में हिस्सा लिया।

अभियान के तहत, केरल एज्युकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री उमंग नरूला, सचिव और डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के नेतृत्व में 'एक पेड़ माँ के नाम अभियान' के तहत वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधारोपण अभियान

छात्रों में स्वच्छता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उसी स्कूल में एसएचएस 2024 की थीम "स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता" पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कक्षाओं के लगभग 120 छात्रों ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ तीन छात्रों को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने निबंध प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ तीन छात्रों को पुरस्कृत किया

विशेष अभियान 4.0: स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए

14.25 संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण पहल "विशेष अभियान 4.0" को सफलतापूर्वक पूरा किया जिसका आयोजन 2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक किया गया था। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को कम करना था। अभियान के दौरान रिकॉर्ड प्रबंधन और फ़ाइल समीक्षा, लंबित मामलों को समाप्त करना, स्वच्छता और स्थान प्रबंधन एवं सोशल मीडिया और जन भागीदारी संबंधी उद्देश्यों/लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य की आयोजना तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रियागत और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी नियम पुस्तक।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2
(देखें पैरा 4.7)

17वीं लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हुए सरकारी विधेयकों की सूची

लोक सभा

I. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

1. बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
2. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

II. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

राज्य सभा

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1.	2	3	4	5	6
सत्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 263वां सत्र					
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
1	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024	05.02.2024 (रा.स.)	08.02.2024	06.02.2024	2024 का 5 15.02.2024
वित्त मंत्रालय					
2	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 9 15.02.2024
3	विनियोग विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 10 15.02.2024
4	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 11 15.02.2024
5	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 12 15.02.2024
6	वित्त विधेयक, 2024	01.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 8 15.02.2024
गृह मंत्रालय					
7	जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024	05.02.2024 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 2 12.02.2024
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
8	लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024	05.02.2024 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 1 12.02.2024
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
9	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	26.07.2023 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 4 12.02.2024
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
10	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	05.02.2024 (रा.स.)	08.02.2024	06.02.2024	2024 का 7 15.02.2024
11	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	05.02.2024 (रा.स.)	08.02.2024	06.02.2024	2024 का 6 15.02.2024
12	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	26.07.2023 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 3 12.02.2024

अठारहवीं लोक सभा का दूसरा सत्र और राज्य सभा का 265वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024	30.07.2024 (लो.स.)	30.07.2024	08.08.2024	2024 का 13 13.08.2024
2.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024	05.08.2024 (लो.स.)	05.08.2024	08.08.2024	2024 का 14 14.08.2024
3.	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024	23.07.2024 (लो.स.)	07.08.2024	08.08.2024	2024 का 15 16.08.2024
अठारहवीं लोक सभा का तीसरा सत्र और राज्य सभा का 266वां सत्र					
नागर विमानन मंत्रालय					
1	भारतीय वायुयान विधेयक, 2024	31.07.2023 (लो.स.)	09.08.2024	05.12.2024	2024 का 16 11.12.2024
वित्त मंत्रालय					
2.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024	17.12.2024 (लो.स.)	17.12.2024	--	2025 का 01 04.01.2025

परिशिष्ट-4
(देखें पैरा 4.7)

18वीं लोक सभा के तीसरे सत्र और राज्य सभा के 266वें सत्र (शीतकालीन सत्र, 2024) की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

1. गोवा राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024
2. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
3. समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024
4. वहन-पत्र विधेयक, 2024
5. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024
6. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024

II. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

7. वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024
8. संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024
9. संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024

III. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

10. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
11. बायलर विधेयक, 2024

<u>राज्य सभा</u>

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
2. बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
3. रेल (संशोधन) विधेयक, 2024

II. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

4. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
5. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
6. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
7. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

III. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

8. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
9. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
10. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
11. बीज विधेयक, 2004
12. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
13. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
14. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
15. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
16. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
17. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
18. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
19. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
20. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
21. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
22. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020

परिशिष्ट - 4क

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
अंतरिम बजट, 2024							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2024	00	56	01.02.2024	-	-
2.	वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण	05.02.2024	-	-	05.02.2024		
3.	(i) वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा (ii) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा (iii) वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान मांगें। (iv) वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें - दूसरा बैच (v) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित लेखानुदान मांगें (vi) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें। *मद सं.(i) से (vi) पर एक साथ चर्चा हुई।*	07.02.2024	06	57	07.02.2024	04	01

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयकों के माध्यम से चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट - 4ख

(देखें पैरा 4.10)

केंद्रीय बजट 2024-25							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण	23.07.2024	01	23	23.07.2024	-	-
2.	वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	24-07-2024 25-07-2024 26-07-2024 29-07-2024 30-07-2024	27	19	24-07-2024 25-07-2024 26-07-2024 29-07-2024 30-07-2024 31-07-2024	21	49
3.	वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट का प्रस्तुतिकरण	23.07.2024	-	-	-	-	-
4.	वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा	24-07-2024 25-07-2024 26-07-2024 29-07-2024 30-07-2024	27	19	24-07-2024 25-07-2024 26-07-2024 29-07-2024 30-07-2024 31-07-2024	21	49
5.	वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुदान मांगें।	24-07-2024 25-07-2024 26-07-2024 29-07-2024 30-07-2024	27	19	#	#	#
6.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	30-07-2024 31-07-2024 01-08-2024	11	54	#	#	#
7.	शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	01-08-2024	06	47	#	#	#
8.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	02-08-2024 05-08-2024	06	43	#	#	#
9.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	05-08-2024	04	56	#	#	#
10.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2024-25 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान	05-08-2024	00	14	#	#	#

	के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) कृषि और किसान कल्याण (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) नागर विमानन (6) कोयला (7) वाणिज्य और उद्योग (8) संचार (9) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (10) सहकारिता (11) कारपोरेट कार्य (12) संस्कृति (13) रक्षा (14) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (15) पृथ्वी-विज्ञान (16) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (17) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (18) विदेश (19) वित्त (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (21) भारी उद्योग और लोक उद्यम (22) गृह (23) आवासन और शहरी कार्य (24) सूचना और प्रसारण (25) जल शक्ति (26) श्रम और रोजगार (27) विधि और न्याय (28) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (29) खान (30) अल्पसंख्यक कार्य (31) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (32) पंचायती राज (33) संसदीय कार्य (34) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (36) योजना (37) पत्तन, पोत परिवहन और जनमार्ग (38) विद्युत (39) लोक सभा (40) राज्य सभा (41) उप राष्ट्रपति सचिवालय (42) सड़क परिवहन और राजमार्ग (43) ग्रामीण विकास (44) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (45) कौशल विकास और उद्यमशीलता (46) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (47) अंतरिक्ष विभाग (48) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (49) इस्पात (50) वस्त्र (51) पर्यटन (52) जनजातीय कार्य (53) महिला और बाल विकास (54) युवा कार्यक्रम और खेल।						
11.	अनुपूरक अनुदान मांगें - 2024-25 के लिए पहला बैच	16.12.2024 17.12.2024	07	20	#	#	#

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयकों के माध्यम से चर्चा की जाती है।

- क्र.सं.2, 4 और 5 पर लोक सभा में एक साथ चर्चा की गई।
- क्र.सं.2 और 4 पर राज्य सभा में एक साथ चर्चा की गई।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.13)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20

7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक (01.01.2024 से 31.12.2024 तक)

लोक सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

1. श्री सी.एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 3 का संशोधन)
2. श्री सी.एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुसूची का संशोधन)
3. श्री सी.एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विनियमन और विकास आयोग विधेयक, 2024
4. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा कलाकार (सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2024
5. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा परंपरागत मछुआरे (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024
6. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
7. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा हरित क्षेत्र अवसंरचना विकास बोर्ड विधेयक, 2024
8. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)
9. श्री राजीव प्रताप रुडी, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला विकास और निगरानी समिति विधेयक, 2024
10. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनन्तपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2024
11. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (नई धाराओं 8क और 13क का अंतःस्थापन)
12. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 43क का संशोधन)
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नए अनुच्छेद 49क का अंतःस्थापन)
14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा रेबीज नियंत्रण विधेयक, 2024
15. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 81 का संशोधन)
16. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य द्वारा रिहायशी स्कूल (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) विधेयक, 2024
17. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक, 2024
18. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2024
19. श्री शफी परम्बिल, संसद सदस्य द्वारा विमान किराया विनियामक बोर्ड विधेयक, 2024

20. श्री शफी परम्बिल, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (विस्तृत शीर्षक का संशोधन, आदि)
21. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
22. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा अनाथ बच्चे (कल्याण और विकास) विधेयक, 2024
23. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
24. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
25. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2024
26. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा बिहार राज्य को विशेष आर्थिक सहायता विधेयक, 2024
27. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2024
28. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य द्वारा भारी वर्षा, चक्रवातों और अन्य कारणों से आने वाली बाढ़ के पीड़ित (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2024
29. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
30. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य द्वारा तर्कसंगत विचार संवर्धन विधेयक, 2024
31. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य द्वारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (पहचान और उपचार) विधेयक, 2024
32. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा आसूचना सेवा (शक्तियां और विनियमन) विधेयक, 2024
33. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 80 का संशोधन, आदि)
34. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 324 का संशोधन, आदि
35. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2024
36. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा आयकर संग्रहण दृश्यात्मक निरुपण विधेयक, 2024
37. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा ग्लूकोटेस्ट स्ट्रिप्स (विनियमन और मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2024
38. श्री एन.के. प्रेमचन्दन, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 3 और अनुसूची दो का संशोधन)
39. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2024
40. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2024
41. श्री के. नवसकनी, संसद सदस्य द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2024
42. श्री के. नवसकनी, संसद सदस्य द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा पर प्रतिबंध विधेयक, 2024
43. श्री के. नवसकनी, संसद सदस्य द्वारा समुद्रपारीय कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2024

44. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे, संसद सदस्य द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (इंटर्नशिप के माध्यम से संवर्दधन) विधेयक, 2024
45. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2024
46. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा तमिलनाडु राज्य को विशेष वितीय सहायता विधेयक, 2024
47. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
48. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 58 का संशोधन)
49. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
50. श्री डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 10क और 10ख का अंतःस्थापन)
51. श्री डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
52. श्री श्री.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा तमिलनाडु राज्य में प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों हेतु विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
53. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति, संसद सदस्य द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 90क का अंतःस्थापन)
54. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2024
55. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2024
56. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा आकाशीय बिजली आपदा पीड़ित (प्रतिकर) विधेयक, 2024
57. श्री वी.के, श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा केरल उच्च न्यायालय (पलक्कड में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2024
58. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 3क का अंतःस्थापन)
59. श्री राजकुमार चाहर, संसद सदस्य द्वारा जैविक कृषि संवर्धन विधेयक, 2024
60. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 5क का अंतःस्थापन, आदि)
61. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
62. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा एयरलाइन यात्री सेवा प्राधिकरण विधेयक, 2024
63. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य द्वारा प्ले स्कूल (विनियमन) विधेयक, 2024
64. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य द्वारा अनाथ (सरकारी स्थापनों में पर्दा का आरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024
65. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, संसद सदस्य द्वारा ग्रामीण श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 2024

राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

1. श्री ए.ए. रहीम द्वारा पुरःस्थापित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022
2. श्री ए.ए. रहीम द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 371क का संशोधन)
3. श्री ए.ए. रहीम द्वारा पुरःस्थापित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2023
4. श्री विवेक के. तन्खा द्वारा पुरःस्थापित कश्मीरी पंडित (आश्रय, प्रत्यास्थापन, पुनर्वास और पुनःस्थापन) विधेयक, 2022
5. श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा पुरःस्थापित साक्षी संरक्षण विधेयक, 2023
6. श्री केसुरेश रेड्डी. आर. द्वारा पुरःस्थापित असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा विधेयक, 2023
7. श्री साकेत गोखले द्वारा पुरःस्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023
8. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा पुरःस्थापित सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2023
9. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा पुरःस्थापित बुजुर्ग व्यक्ति (देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2024
10. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा पुरःस्थापित लोक सेवा सत्यनिष्ठा विधेयक, 2023
11. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 155 का प्रतिस्थापन तथा नए अनुच्छेद 156क का अंतःस्थापन और अनुच्छेद 200 तथा 201 का प्रतिस्थापन)
12. डा. सस्मित पात्रा द्वारा पुरःस्थापित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) संशोधन विधेयक, 2024
13. डा. सस्मित पात्रा द्वारा पुरःस्थापित भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 2024
14. डा. सस्मित पात्रा द्वारा पुरःस्थापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धाराएं 127ख से 127घ तक का अंतःस्थापन)
15. डा. वी. शिवादासन द्वारा पुरःस्थापित भारतीय मीडिया सेवा (विनियमन और अनुज्ञापन) विधेयक, 2024
16. डा. वी. शिवादासन द्वारा पुरःस्थापित राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराध से रक्षा आयोग विधेयक, 2024
17. श्री पी. विल्सन द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 361 का संशोधन)
18. श्री पी. विल्सन द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
19. डा. फौजिया खान द्वारा पुरःस्थापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2024
20. डा. फौजिया खान द्वारा पुरःस्थापित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024
21. डा. फौजिया खान द्वारा पुरःस्थापित फर्जी कॉल निवारण विधेयक, 2024
22. श्री ए.डी. सिंह द्वारा पुरःस्थापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 86 और 116क का संशोधन)
23. श्री ईरण्ण कडाडी द्वारा पुरःस्थापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022
24. श्री ईरण्ण कडाडी द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)

25. श्री ईरण्ण कडाडी द्वारा पुरःस्थापित निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023
26. श्री आर. गिरिराजन द्वारा पुरःस्थापित हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2024
27. डा. सस्मित पात्रा द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 263 का प्रतिस्थापन और सातवीं तथा आठवीं अनुसूची का संशोधन)
28. श्री ए.ए. रहीम द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 164 का संशोधन)
29. श्री ए.डी. सिंह द्वारा पुरःस्थापित भारतीय न्याय संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024
30. श्री ए.डी. सिंह द्वारा पुरःस्थापित पारंपरिक हथकरघा रेशम बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024
31. श्री ए.डी. सिंह द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 124, 148, 319 और 324 का संशोधन और नए अनुच्छेद 220 क तथा 309क का अंतःस्थापन)
32. डा. वी. शिवादासन द्वारा पुरःस्थापित सार्वभौमिक मूलभूत आय का अधिकार विधेयक, 2024
33. श्री तिरुची शिवा द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 3 का प्रतिस्थापन)
34. डा. वी. शिवादासन द्वारा पुरःस्थापित वृद्धावस्था देखभाल का अधिकार विधेयक, 2024
35. डा. वी. शिवादासन द्वारा पुरःस्थापित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 2024
36. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा पुरःस्थापित साधारण खंड (संशोधन) विधेयक, 2024
37. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा पुरःस्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 158 का संशोधन)
38. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा पुरःस्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
39. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा पुरःस्थापित नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2024
40. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा पुरःस्थापित राष्ट्रीय लुप्तप्राय भाषा संरक्षण आयोग विधेयक, 2024
41. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा पुरःस्थापित राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2024

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - विचाराधीन

1. श्री जावेद अली खान ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - वापस लिए गए

1. डा. वी. शिवादासन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 तथा 156 का प्रति:स्थापन)
2. डा. सस्मित पात्रा का साल के पत्तों के संग्राहकों और व्यापारियों का कल्याण विधेयक, 2022

परिशिष्ट - 7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और विघटन

3.1 यथासंभव भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

<u>गणपूर्ति (कोरम)</u>

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतिकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

संसदीय कार्य मंत्रालय

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

क्र.सं.	**परामर्शदात्री समिति का नाम**
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर मोबाइल/टेलीफोन तथा फैक्स नंबर

(क) दिल्ली का पता:.....

.....

(ख) स्थायी पता:.....

.....

(ग) ईमेल आईडी:

सेवा में

अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
90, संविधान सदन,
नई दिल्ली।
टेलीफोन नंबर : 011-23034728
फैक्स नंबर : 011-23034744
011-23017557
ई-मेल आईडी : anil.kumar.mopa@nic.in

परिशिष्ट - 8
(देखें पैरा 8.4)

17वीं लोक सभा के दौरान गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3.	नागर विमानन मंत्रालय
4.	कोयला और खान मंत्रालय
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
7.	सहकारिता मंत्रालय
8.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
9.	रक्षा मंत्रालय
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
11.	शिक्षा मंत्रालय
12.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
14.	विदेश मंत्रालय
15.	वित्त मंत्रालय
16.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
19.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
20.	गृह मंत्रालय
21.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
22.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
23.	जल शक्ति मंत्रालय
24.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
25.	विधि और न्याय मंत्रालय
26.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
27.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
29.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
30.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

31.	रेल मंत्रालय
32.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
33.	ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
34.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
35.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
36.	इस्पात मंत्रालय
37.	वस्त्र मंत्रालय
38.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
39	महिला और बाल विकास मंत्रालय
40	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट - 9
(देखें पैरा 8.4)

18वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	**परामर्शदात्री समिति का नाम**
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3.	नागर विमानन मंत्रालय
4.	कोयला और खान मंत्रालय
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
7.	सहकारिता मंत्रालय
8.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
9.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
10.	रक्षा मंत्रालय
11.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
12.	शिक्षा मंत्रालय
13.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
14.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
15.	विदेश मंत्रालय
16.	वित्त मंत्रालय
17.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
19.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
20.	भारी उद्योग मंत्रालय
21.	गृह मंत्रालय
22.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
23.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
24.	जल शक्ति मंत्रालय
25.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
26.	विधि और न्याय मंत्रालय
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

28.	पंचायती राज मंत्रालय
29.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
30.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
31.	विद्युत मंत्रालय
32.	रेल मंत्रालय
33.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
34.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
35.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
36.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
37.	इस्पात मंत्रालय
38.	वस्त्र मंत्रालय
39.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
40.	महिला और बाल विकास मंत्रालय
41.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट - 10
(देखें पैरा 8.5)

वर्ष 2024 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

क्र.सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम	बैठक की तारीख	बैठक का समय	बैठक का आयोजन स्थल	कार्यसूची का विषय	2024 में हुई बैठकों की संख्या
1	कृषि और किसान कल्याण	30- जनवरी-2024	सायं 06:00	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली	"पौध संरक्षण एवं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड"	1
2	जल शक्ति	2-दिसंबर-2024	सायं 6:00	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध	विशेषकर जल संचय-जनभागीदारी पहल को केंद्र में रखते हुए जल शक्ति अभियान करेगा	1
3	विद्युत	12-फरवरी-2024	पूर्वाह्न 11:30	"मुख्य" समिति कक्ष, संसदीय सौध	सोलर रूफ टॉप का कार्यान्वयन	2
		3-दिसंबर-2024	सायं 6:00	"मुख्य" समिति कक्ष, संसदीय सौध	राष्ट्रीय विद्युत योजना-उत्पादन	
4	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	4-दिसंबर-2024	अपराह्न 3:30	समिति कक्ष "ख", संसदीय सौध	पूर्वोत्तर के लिए नया विकास ढांचा	1
5	पत्तन, पोत परिवहन	10-दिसंबर-2024	सायं 6:00	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध	भारत में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत	1
6	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	12-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:00	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध	एक पेड़ माँ के नाम	1
7	वस्त्र	12-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:30	समिति कक्ष "1", संसदीय सौध विस्तार	रेशम/रेशम उत्पादन का विकास	1
8	गृह	26-फरवरी-2024	पूर्वाह्न 11:00	दमन, दमन और दीव	केंद्रीय सशस्त्र बलों के मामले और जम्मू एवं कश्मीर का विकास	1
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	12-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:30	समिति कक्ष '3', संसदीय सौध विस्तार	परिचायक बैठक	1
10	भारी उद्योग	07-फरवरी-2024	सायं 6:00	समिति कक्ष "ख", संसदीय सौध, नई दिल्ली	नवीन प्रौद्योगिकी के युग में एमएचआई के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र	1

					के उपक्रमों की भूमिका	
11	सूचना और प्रसारण	06-फरवरी-2024	सायं 6:30	समिति कक्ष “ख”, संसदीय सौध, नई दिल्ली	भारत में सामुदायिक रेडियो का विकास	1
12	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	05-फरवरी-2024	पूर्वाह्न 10:00	समिति कक्ष “ख”, संसदीय सौध	वरिष्ठ नागरिक	2
		12-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:45	कॉंफ्रेंस हॉल “1”, डा/. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली	नशा मुक्त भारत अभियान	
13	इस्पात	16-जनवरी-2024	पूर्वाह्न 10:00	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध विस्तार	एनएमडीसी (नगरनार)	2
		12-दिसंबर-2024	सायं 5:00	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध विस्तार	भारतीय इस्पात क्षेत्र में हरित इस्पात परिवर्तन	
14	कौशल विकास	12-दिसंबर-2024	सायं 6:00	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध विस्तार	उभरते नए युग का कौशल पारिस्थितिकी तंत्र	1
15	युवा कार्यक्रम और खेल	07-फरवरी-2024	पूर्वाह्न 9:30	समिति कक्ष “ग”, संसदीय सौध	“खेलों में समावेश; महिला लीग और पैरा स्पोर्ट्स”	2
		13-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:30	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध विस्तार	शासन में युवाओं की भागीदारी	
16	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी	07-फरवरी-2024	पूर्वाह्न 09:00	समिति कक्ष “ख”, संसदीय सौध	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	2
		13-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:30	समिति कक्ष ‘1’, संसदीय सौध विस्तार	मत्स्य उत्पादों में मूल्य संवर्धन एवं निर्यात संवर्धन	
17	महिला और बाल विकास	16-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 10:00	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध विस्तार	सक्षम आंगनवाड़ी और पोशण 2.0	1
18	श्रम और रोजगार	17-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:30	समिति कक्ष ‘2’, संसदीय सौध विस्तार	गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक	1
19	रक्षा	17-दिसंबर-2024	पूर्वाह्न 9:30	समन्वय '3', संसद भवन	नए डीपीएसयू की भूमिका और कार्य	1
20	नागर विमानन	17-दिसंबर-	अपराह्न	समिति कक्ष ‘2’,	पिछले 10 वर्षों की	1

		2024	3:00	संसदीय सौध विस्तार	गतिविधियां, पिछले 5 महीनों की उपलब्धियां और अगले 5 वर्षों के लिए आगे की राह	
21	वाणिज्य और उद्योग	21-फरवरी-2024	सायं 6:30	सम्मेलन कक्ष 31, भूतल, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली	पीएम गतिशक्ति: विकास के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण	2
		17-दिसंबर-2024	सायं 06:30	समिति कक्ष '1', संसदीय सौध विस्तार	प्रधानमंत्री गति शक्ति सहायता से एकीकृत औद्योगिक विकास के लिए भविष्योन्मुखी औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास	
22	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	17-दिसंबर-2024	सायं 6:30	समिति कक्ष '3', संसदीय सौध विस्तार	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान	1
23	आवासन और शहरी कार्य	18-दिसंबर-2024	सायं 6:30	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध	शहरी परिवहन	1
24	संस्कृति और पर्यटन	19-दिसंबर-2024	सायं 6:00	समिति कक्ष '3', संसदीय सौध विस्तार	(i) पर्यटन पर सामान्य अवलोकन- पर्यटन (ii) रचनात्मक भारत-संस्कृति	1
25	कोयला और खान	19-दिसंबर-2024	सायं 06:30	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध	(i) संधारणीयता एवं हरित पहल -कोयला (ii) डीएमएफ का प्रदर्शन -खान	1
26	ग्रामीण विकास	02-फरवरी-2024	पूर्वाह्न 10:00	समिति कक्ष "ख", संसदीय सौध	"प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी)"	1

परिशिष्ट - 11
(देखें पैरा 14.1)

वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/बोर्डों/परिषदों/आयोगों आदि पर नामित संसद सदस्यों की सूची

क्र.सं.	समिति/बोर्ड/परिषद/आयोग आदि का नाम	नामित संसद सदस्य का नाम		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन की तारीख
1	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय- मेरा युवा भारत (मेरा भारत) का शासक मंडल	श्री तेजस्वी सूर्या	लोक सभा	कर्नाटक	31.07.2024
		श्री कौशलेंद्र कुमार	लोक सभा	बिहार	
		श्री सदानंद शेट तानवड़े	राज्य सभा	गोवा	
2	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड	डा. संबित पात्र	लोक सभा	ओडशा	07.08.2024
		श्री चुड़ासमा राजेशभाई नारणभाई	लोक सभा	गुजरात	
		श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा	राज्य सभा	सिक्किम	
3	डाक विभाग, संचार मंत्रालय- डाक टिकट सलाहकार समिति	श्री देवुसिंह चौहान	लोक सभा	गुजरात	22.10.2024
		श्री एस. सेल्वागनबेथी	राज्य सभा	पुदुचेरी	
4	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा की जनरल काउंसिल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	श्री सतीश कुमार गौतम	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	20.11.2024
		डा. सुमेर सिंह सोलंकी	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
5	केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद	डा. भोला सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	20.11.2024
		डा. जयंत कुमार राय	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		डा. सुमेर सिंह सोलंकी	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री राजीव भट्टाचार्जी	राज्य सभा	त्रिपुरा	
6	क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (आरडीटीएसी), वित्त मंत्रालय	श्री जुगल किशोर	लोक सभा	जम्मू और कश्मीर तथा लदाख	26.12.2024
		श्री मनीष तिवारी	लोक सभा	चंडीगढ	
		श्री सुरेश कुमार कश्यप	लोक सभा	हिमाचल प्रदेश	
		श्री धर्मबीर सिंह	लोक सभा	हरियाणा	
		श्री सतनाम सिंह संधु	राज्य सभा	पंजाब	
		श्री योगेंद्र चंदोलिया	लोक सभा	दिल्ली	
		श्री छत्रपाल सिंह गंगवार	लोक सभा	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	

		श्री अतुल गर्ग	लोक सभा	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
		श्री अजय भट्ट	लोक सभा	उत्तराखंड	
		श्री अरूण भारती	लोक सभा	बिहार	
		श्री दीपक प्रकाश	राज्य सभा	झारखंड	
		श्रीमती मालविका देवी	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री खगेन मुर्मु	लोक सभा	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
		श्रीमती बिजुली कलिता मेधी	लोक सभा	असम, अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड	
		श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा	राज्य सभा	मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा	
		श्री लुंबा राम	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री भरतभाई मनुभाई सुतारिया	लोक सभा	गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	
		श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री रूपकुमारी चौधरी	लोक सभा	छत्तीसगढ़	
		श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण	राज्य सभा	महाराष्ट्र (मुंबई क्षेत्र)	
		डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी	राज्य सभा	महाराष्ट्र (पुणे क्षेत्र)	
		श्री प्रफुल पटेल	राज्य सभा	महाराष्ट्र (नागपुर क्षेत्र)	
		श्री इटेला राजेंदर	लोक सभा	तेलंगाना	
		श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी	लोक सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री नारायणसा के. भांडगे	राज्य सभा	कनार्टक	
		श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े	राज्य सभा	गोवा	

		डा. वी. शिवादासन	राज्य सभा	केरल और लक्षद्वीप	
		श्री एस. सेल्वागनबेथी	राज्य सभा	तमिलनाडु और पुदुचेरी	

परिशिष्ट - 12

(देखें पैरा 14.2)

वर्ष 2024 में हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	नामित संसद सदस्य का नाम	सदन	राज्य	नामांकन की तारीख
1	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	श्रीमती कमलेश जांगडे	लोक सभा	छत्तीसगढ़	31.07.2024
		श्री कौशलेंद्र कुमार	लोक सभा	बिहार	
		श्री मिथलेश कुमार	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री भुबनेश्वर कालिता	राज्य सभा	असम	
2	संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)	डा. रबींद्र नारायण बेहेरा	लोक सभा	ओडिशा	8.8.2024
		श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री नारायण कोरागप्पा	राज्य सभा	कर्नाटक	
		श्रीमती संगीता यादव	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
3	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	श्री विनोद चावड़ा	लोक सभा	गुजरात	2.8.2024
		श्री राजू बिष्ट	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री मदन राठौड़	राज्य सभा	राजस्थान	
		श्री प्रदीप कुमार वर्मा	राज्य सभा	झारखंड	
4	विदेश मंत्रालय	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	लोक सभा	बिहार	2.8.2024
		श्री सतीश गौतम	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		डा. सिकंदर कुमार	राज्य सभा	हिमाचल प्रदेश	
		डा. भीम सिंह	राज्य सभा	बिहार	
5	विद्युत मंत्रालय	श्री सुरेश कश्यप	लोक सभा	हिमाचल प्रदेश	2.8.2024
		श्री अनुप धोत्रे	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री कृष्ण लाल पंवार	राज्य सभा	हरियाणा	
		श्री अमर पाल मोर्य	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
6	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्रीमती कृति देवी देवबर्मन	लोक सभा	त्रिपुरा	30.08.2024
		श्री अमरसिंह टिस्सो	लोक सभा	असम	
7	भारी उद्योग मंत्रालय	डा. भोला सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	01.10.2024
		सुश्री बांसुरी स्वराज	लोक सभा	दिल्ली	
8	जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधान, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)	श्री शंकर ललवानी	लोक सभा	मध्य प्रदेश	22.10.2024
		श्री कृपानाथ मल्लाह	लोक सभा	असम	
9	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	श्री देवेंद्र सिंह उर्फ भोले सिंह	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	24.10.2024
		श्री अनिल फिरोज़िया	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	

		श्री मनन कुमार मिश्र	राज्य सभा	बिहार	
10	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्री रमेश अवस्थी	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	19.11.2024
		श्री अशोक कुमार यादव	लोक सभा	बिहार	
		श्री नारायणसा के. भांडगे	राज्य सभा	कर्नाटक	
		श्री सामिक भट्टाचार्य	राज्य सभा	पश्चिम बंगाल	
11	कोयला मंत्रालय	श्री विष्णु दयाल राम	लोक सभा	झारखंड	19.11.2024
		डा. रबींद्र नारायण बेहेरा	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री मिशन रंजन दास	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री बंशीलाल गुर्जर	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
12	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति	श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम	लोक सभा	गुजरात	20.11.2024
		श्री बालभद्र मांझी	लोक सभा	ओडिशा	
		डा. संगीता बलवंत	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री सुभाष बारला	राज्य सभा	हरियाणा	
13	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	श्री अनूप संजय धोत्रे	लोक सभा	महाराष्ट्र	20.11.2024
		श्री अनूप प्रधान बाल्मिकी	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	राज्य सभा	बिहार	
		श्री गुलाम अली	राज्य सभा	मनोनित	
14	महिला और बाल विकास मंत्रालय	श्रीमती कमलेश जांगड़े	लोक सभा	छत्तीसगढ़	20.11.2024
		श्रीमती मंजू शर्मा	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री रामचंद्र जांगड़ा	राज्य सभा	हरियाणा	
		सुश्री इंदु बाला गोस्वामी	राज्य सभा	हिमाचल प्रदेश	
15	ग्रामीण विकास मंत्रालय	श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान	लोक सभा	मध्य प्रदेश	20.11.2024
		श्री धर्मबीर सिंह	लोक सभा	हरियाणा	
		श्रीमती किरण चौधरी	राज्य सभा	हरियाणा	
		डा. अजीत माधवराव गोपछड़े	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
16	विधि और न्याय मंत्रालय	श्री प्रताप चंद्र सारंगी	लोक सभा	ओडिशा	26.12.2024
		श्री अभिजीत गंगोपाध्याय	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्री अरूण सिंह	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री हर्ष महाजन	राज्य सभा	हिमाचल प्रदेश	
17	अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति	डा. अलोक कुमार सुमन	लोक सभा	बिहार	26.12.2024
		श्री आशीष दुबे	लोक सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री परिमल नथवानी	राज्य सभा	आंध्र प्रदेश	
		श्री नीरज शेखर	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	

18	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	श्री मनोज तिग्गा	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	26.12.2024
		श्री शशांक मणि	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक	राज्य सभा	नागालैंड	
		श्री संजय कुमार झा	राज्य सभा	बिहार	
19	जनजातीय कार्य मंत्रालय	श्री हेमंत विष्णु सवरा	लोक सभा	महाराष्ट्र	26.12.2024
		श्री गौरव गोगोई	लोक सभा	असम	
		श्री रमिलाबेन बेचारभाई बारा	राज्य सभा	गुजरात	
		श्री चुन्नीलाल गरासिया	राज्य सभा	राजस्थान	
20	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री जुगल किशोर	लोक सभा	जम्मू और कश्मीर	26.12.2024
		श्री स्मिता उदय वाघ	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई	राज्य सभा	गुजरात	
		श्रीमती सुधा मूर्ति	राज्य सभा	मनोनित	
21	इस्पात मंत्रालय	श्री बिद्युत बरन महतो	लोक सभा	झारखंड	18.12.2024
		श्री प्रताप चंद्र सारंगी	लोक सभा	ओडिशा	
		श्री आदित्य प्रसाद	राज्य सभा	झारखंड	
		श्रीमती सुलता देव	राज्य सभा	ओडिशा	
22	सहकारिता मंत्रालय	श्री दिलीप शइकीया	लोक सभा	असम	18.12.2024
		डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	लोक सभा	महाराष्ट्र	
		डा. के. लक्ष्मण	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
23	राजस्व विभाग, व्यय विभाग, सीएजी विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति	श्री मनोज तिवारी	लोक सभा	दिल्ली	27.12.2024
		श्री अरूण कुमार सागर	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री कुवंर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री लहर सिंह सिरोया	राज्य सभा	कर्नाटक	
24	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	डा. मन्नालाल रावत	लोक सभा	राजस्थान	18.12.2024
		श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम	लोक सभा	गुजरात	
		डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह	राज्य सभा	गुजरात	
		श्रीमती ममता ठाकुर	राज्य सभा	पश्चिम बंगाल	
25	शिक्षा मंत्रालय	सुश्री बांसुरी स्वराज	लोक सभा	दिल्ली	19.12.2024
		श्री संबित पात्रा	लोक सभा	ओड़िशा	
		डा. कल्पना सैनी	राज्य सभा	उत्तराखंड	
		श्रीमती राजरानी अशोकराव पाटिल	राज्य सभा	महाराष्ट्र	
26	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त	श्रीमती शांभवी	लोक सभा	बिहार	27.12.2024
		श्री राव राजेंद्र सिंह	लोक सभा	राजस्थान	
		श्रीमती दर्शना सिंह	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	

	हिंदी सलाहकार समिति	श्री कार्तिकेय शर्मा	राज्य सभा	हरियाणा	
27	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	श्री संतोष पांडेय	लोक सभा	छत्तीसगढ़	19.12.2024
		श्री धर्मबीर सिंह	लोक सभा	हरियाणा	
		श्री तेजवीर सिंह	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	
		श्री के.आर. सुरेश रेड्डी	राज्य सभा	तेलंगाना	
28	विद्युत मंत्रालय	श्रीमती सीमा द्विवेदी	राज्य सभा	उत्तर प्रदेश	9.12.2024
29	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री बलभद्र माझी	लोक सभा	ओडिशा	9.12.2024
		श्री लुम्बा राम	लोक सभा	राजस्थान	
		श्री नरहरी अमीन	राज्य सभा	गुजरात	
		श्रीमती ममता मोहंता	राज्य सभा	ओडिशा	
30	गृह मंत्रालय	श्री दामोदर अग्रवाल	लोक सभा	राजस्थान	26.12.2024
		श्री सौमित्र खान	लोक सभा	पश्चिम बंगाल	
		श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
		श्री विवेक के. तन्खा	राज्य सभा	मध्य प्रदेश	
31	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	श्री अनुराग शर्मा	लोक सभा	उत्तर प्रदेश	27.12.2024
		श्री भोजराज नाग	लोक सभा	छत्तीसगढ़	
		श्री महेंद्र भट्ट	राज्य सभा	उत्तराखंड	
		श्री के. वेंलेल्वना	राज्य सभा	मिज़ोरम	

परिशिष्ट - 13

(देखें पैरा 11.8)

मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2024 के दौरान मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	प्रथम
		2	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, अ.अ.	द्वितीय
		3	श्री अरूण कुमार शर्मा, स.अ.अ.	तृतीय
		4	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	विशेष
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	श्री प्रविन्द्र खत्री, व.स.स.	प्रथम
		2	श्री विवेक यादव, आशुलिपिक	द्वितीय
		3	श्री नरेन्द्र कुमार, व.स.स.	तृतीय
		4	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	विशेष
3	गैर-हिंदी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री संजीत कुमार दास, अ.अ.	प्रथम
		2	श्री जोगेन्द्र नाथ नायक, निजी सचिव	द्वितीय
		3	श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	तृतीय
		4	श्री श्रीधर स्वामी, प्रोग्रामर	विशेष
4.	हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री पवन कुमार, एमटीएस	प्रथम
		2	सुश्री प्राची पुंडीर, एमटीएस	प्रथम
		3	श्री हर्ष चौहान, एमटीएस	द्वितीय
		4	श्री नरेश कुमार, एमटीएस	तृतीय
		5	श्री दिनेश वर्मा, एमटीएस	विशेष
5.	हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता	1	श्रीमती अपर्णा यादव, क.अ.अ.	प्रथम
		2	डॉ. प्रणव भारद्वाज, व.अ.अ.	द्वितीय
		3	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
		4	श्री जागवेन्द्र निरंजन, अ.अ.	विशेष
6.	हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्रीमती रेखा भारती, निजी सचिव	प्रथम
		2	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	प्रथम
		3	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	द्वितीय
		4	श्री अनुज कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
		5	श्री राहुल आर्य, परामर्शदाता	विशेष

मंत्रालय में हिंदी में मूल टिप्पण-आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान संचालित हिंदी मूल टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	**पुरस्कार विजेता**	**पुरस्कार**
1.	श्री मंजेश कुमार कुशवाहा, स.अ.अ.	प्रथम
2.	श्री भवान सिंह, क.स.स.	प्रथम
3.	श्री सुनील, क.स.स.	द्वितीय
4.	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ.	द्वितीय
5.	श्री राहुल आर्य, परामर्शदाता	द्वितीय
6.	श्री अरूण कुमार शर्मा, स.अ.अ.	तृतीय
7.	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, अ.अ.	तृतीय
8.	श्री साधुराम, क.स.स.	तृतीय
9.	श्री अजीत कुमार, स.अ.अ.	तृतीय
10.	श्री संदीप कुमार, स.अ.अ.	तृतीय

परिशिष्ट - 14

(देखें पैरा 14.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये *1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये *70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये *20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इन भत्तों में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक कॉल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं तो जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों

		का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों को लगाने और उनका किराया सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड एफ.टी.टी.एच. का लाभ भी उठा सकता है बशर्ते कि इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (होस्टल आवास सहित)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,00,000/- (रूपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति।

		अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से उस ब्याज दर पर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, रूपये 4,00,000/- जिसे अधिकतम 5 वर्ष या सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के भीतर वापिस लिया जाएगा।
9.	यात्रा भत्ता	**रेल:** यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। **वायुयान**: एक यात्री भाड़े के बराबर राशि। इसके अलावा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **स्टीमर** : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक यात्री भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)। **सड़क** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों तो सड़क यात्रा भत्ता। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।

10.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो, वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
11.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और सदस्य की पत्नी/पति द्वारा ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय किया जाता है तो रू.16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी जाती है।

		जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़े की राशि, जो भी कम हो, के हकदार हैं।
12.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट - 15
(देखें पैरा 14.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्ष से अधिक संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कॉल, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उसमें अधिक की गई खपत को समायोजित करने की अनुमति होगी।